

सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

कृपया ध्यान दें: 15 नवम्बर 2013 के व्यवसायिक समय के बाद, आरबीएस क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को दा रत्नाकर बैंक लिमि. (आरबीएल) को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस दिनांक से स्थानांतरित क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो से संबंधित सभी कानूनी देयता आरबीएल की होगी तथा सेवाओं/उत्पादों के वितरण, गुणवत्ता, उपयुक्तता के संबंध में आरबीएस की कोई वारंटी और प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस स्थानांतरण के बाद आरबीएस द्वारा भेजी गई कोई भी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या सम्बन्धित सूचना आपको आरबीएल की तरफ से प्राप्त होगी। क्रेडिट कार्ड के संबंध में आरबीएल के उत्पादों/सेवाओं से संबंधित सभी विवादों को आरबीएल द्वारा निपटाया जाएगा तथा उसके लिए आरबीएस उत्तरदायी नहीं होगा। प्रभावी दिनांक से, कार्य सदस्य अनुबंध के नियम और शर्तें आरबीएस की बजाय आरबीएल के नाम से पढ़ी जाएंगी।

- क. “सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें” (“MITC”) भारत के ऐसे सभी निवासियों पर लागू हैं जिन्होंने द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (“क्रेडिट कार्ड”) द्वारा इससे सम्बद्ध लागू नियमों एवं शर्तों, जिनमें अतिरिक्त नियम एवं शर्तें शामिल तो हैं लेकिन ये उन तक सीमित नहीं हैं, के अनुसार जारी कोई भी विवरण का द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (“बैंक”) के वैध एवं चालू क्रेडिट कार्ड का धारण किया हो.
- ख. कार्डमेम्बर का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसने (“आरबीएस”) क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर लिया है.
- ग. MITC और इसमें दी गई सभी जानकारी बैंक के ऐसे सभी क्रेडिट कार्डस/कार्डमेम्बर्स/क्रेडिट कार्डस के आवेदकों/बैंक के कस्टमर्स/सर्व-साधारण पर तत्काल रूप से लागू होगी जो बैंक के क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट में रुचि दिखाएंगे.
- घ. बैंक के क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट में रुचि दिखाने वाले सभी कार्डमेम्बर्स/क्रेडिट कार्डस के आवेदकों/बैंक के कस्टमर्स/सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि MITC बैंक के विवेकाधिकार से और समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार परिवर्तित किए जाने की शर्त के अधीन हैं.
- ङ. उक्त MITC अन्य नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त हैं और इसे बैंक के कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तों के साथ पढ़ा जाए.
- च. अगर नियम एवं शर्तों आपको अस्वीकार्य हों तो कृपया हमें लिखित रूप में सूचित करें और आरबीएस क्रेडिट कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्रिप के आर-पार विकर्णतः आधा काटते हुए नष्ट कर दें और उसे क्रेडिट कार्ड के प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर हमें वापस कर दें.

1. जारी किया जाना और देयता

- क. बैंक ऐसे आवेदकों/बैंक के कस्टमर्स/सर्व-साधारण को क्रेडिट कार्डस जारी करेगा जो बैंक के क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट में रुचि दिखाएंगे और जो बैंक की क्रेडिट कार्ड निर्गमन नीति, समय-समय पर यथानिर्दिष्ट, के अनुसार निर्गमन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे. इसके अलावा, बैंक अपने एकमात्र और अनन्य विवेकाधिकार

से किसी कार्डमेम्बर को दिए जाने वाले क्रेडिट लिमिट और/या कैश निकासी लिमिट का भी निर्धारण करेगा. क्रेडिट लिमिट और/या कैश निकासी लिमिट्स के बारे में कार्डमेम्बर को विभिन्न अवसरों, जिनमें क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी और कार्डमेम्बरों के आवधिक स्टेटमेंट के समय तो शामिल हैं लेकिन ये उन तक सीमित नहीं हैं, पर सूचित किया जाता है. आवधिक स्टेटमेंट तैयार करने के समय उपलब्ध क्रेडिट लिमिट और/या कैश निकासी लिमिट्स स्टेटमेंट के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट किए जाते हैं और बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्डमेम्बर के एकाउंट की समीक्षा कर सकता है और आंतरिक मानदण्डों के आधार पर पूर्व सूचना देकर पूर्वोक्त लिमिट (लिमिट्स) में वृद्धि या कमी कर सकता है. जो कार्डमेम्बर अपना संबंधित क्रेडिट लिमिट और/या कैश निकासी लिमिट बढ़वाना/परिवर्तित करना चाहते हैं वे सभी आवश्यक दस्तावेजों, जो बैंक द्वारा मांगे जाएं, के साथ बैंक से लिखित अनुरोध करके ऐसा कर सकते हैं. बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से और उपलब्ध कराए गए ऐसे नए दस्तावेजों के आधार पर उक्त कार्डमेम्बर के क्रेडिट लिमिट और/या कैश निकासी लिमिट्स को बढ़ाने/परिवर्तित करने पर निर्णय ले सकता है.

- ख. ये नियम एवं शर्तें क्रेडिट कार्ड के प्रतिग्रहण/स्वाइप पर और इसका इस्तेमाल करने पर कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होगा.
- ग. कोई भी सामग्री (मार्केटिंग सामग्रियों के सहित) ऐड-ऑन क्रेडिट कार्डस जारी करने के लिए किए गए अरोधों/आवेदनों के सहित क्रेडिट कार्ड में रुचि दिखाने वाले आवेदकों/बैंक के कस्टमर्स/सर्व-साधारण को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक के ऑफ़र/वादे का हिस्सा नहीं बनेगी.
- घ. बैंक द्वारा ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड जारी करने की दशा में प्राथमिक कार्डमेम्बर प्राथमिक एवं, ऐड-ऑन कार्डमेम्बर द्वारा किए गए अंतरणों के लिए बैंक की देय कुल धनराशि के लिए अनन्य रूप से हर समय जिम्मेदार होगा.
- ङ. बैंक क्रेडिट कार्ड में रुचि दर्शाने वाले आवेदकों/बैंक के कस्टमर्स/सर्व-साधारण से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत/जमा करने के लिए कह सकता है जो बैंक द्वारा अपने एकमात्र विवेकानुसार अपेक्षित हो या उससे संबंधित लागू कानून द्वारा विनिर्धारित हो.

2. शुल्क एवं चार्ज

क) ज्वाइनिंग शुल्क एवं वार्षिक शुल्क

बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न क्रेडिट कार्ड (कार्डस) पर ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क एवं नवीकरण शुल्क लागू हैं. ऐसे शुल्कों में एक कार्डमेम्बर में, और किसी खास विवरण के क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन होता है. लागू शुल्क वही होगा जो कार्डमेम्बर को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के

समय और/या उक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय सूचित किया जाएगा. आगे, ऐसे शुल्क, जो लागू हों, कार्डमेम्बर के एकाउंट में सीधे प्रभारित किए जाते हैं और तदनुसार कार्ड स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं.

ख) कैश निकासी/अग्रिम शुल्क

कार्डमेम्बर भारत या विदेश में ATMs से नकदी (कैश) की, उक्त ATM (s) में क्रेडिट कार्ड की अनुरूपता के अनुसार, निकासी करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी सभी निकासियों पर अंतरण शुल्क लिया जाएगा और कार्डमेम्बर को उसका बिल अगली/आगामी स्टेटमेंट में भेजा जाएगा. अंतरण शुल्क बैंक के एकमात्र वनिवेकाधिकार से परिवर्तित किए जाने की शर्त के अध्यक्षीन है. आगे, सभी कैश निकासी अंतरणों पर निकासी की तिथि से पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक फायनांस चार्ज भी लिया जाएगा. लागू चार्जेज पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मासिक स्टेटमेंट के रिवर्स में या बैंक की वेबसाइट पर कार्डमेम्बर एग्रीमेंट में चार्जेज की अनुसूची, और सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें दस्तावेज देखें.

ग) चार्जेज की अनुसूची एवं ब्याज दरें

i) बैंक द्वारा कार्डमेम्बर (रॉ) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और/या कार्डमेम्बर (रॉ) द्वारा अपने संबंधित क्रेडिट कार्ड एकाउंट (टॉ) के संदर्भ में भुगतान करने या अन्यथा में किए गए डिफॉल्ट/विलंब के लिए कार्डमेम्बरों द्वारा सभी प्रकार के चार्जेज और शुल्क, समय-समय पर यथा लागू, देय हैं.

ii) बैंक किसी/सभी चार्जेज या शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन करे या कोई भी ऐसे नए चार्जेज या शुल्क लेना शुरू करने, जो वह (बैंक) उपयुक्त समझता है, का अधिकार अनन्य रूप से सुरक्षित रखता है. बैंक चार्जेज या शुल्क में ऐसे बदलाव/परिवर्तन के बारे में कार्डमेम्बर को कम से कम 30 दिनों की पूर्व सूचना देगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त बदलाव के बारे में कार्डमेम्बर को बैंक द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार से अनन्य रूप से चुने गए किसी भी माध्यम से सूचित/सम्प्रेषित किया जाएगा.

iii) कार्डमेम्बर मूल्यवर्धित सेवाओं, जिनमें रिवार्डस प्रोग्राम, प्रीमियर क्लब प्रोग्राम, क्रेडिट शील्ड इंश्योरेंस और स्मार्ट बिल पे प्रोग्राम (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप में "वैकल्पिक सेवाओं" के तौर पर संदर्भित किया गया है) सम्मिलित तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, का उपयोग करने के लिए अपने संबंधित क्रेडिट कार्डस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कार्डमेम्बर(रॉ) द्वारा उक्त वैकल्पिक सेवाओं का स्वैच्छिक तौर पर ऐसे नियम एवं शर्तों के आधार पर, जो वैसी वैकल्पिक सेवाओं पर विशेष रूप से लागू हों और वैसी दरों एवं चार्जेज पर, जो इसमें नीचे चार्जेज की अनुसूची में और अधिक स्पष्टता से दर्शाए गए हैं, उपयोग किया जा सकता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डमेम्बर(रॉ) द्वारा विशेष रूप से प्रतिगृहीत करके/चुन करके/बैंक से निकासी का अनुरोध न करके, जिसमें बैंक संबंधित/सभी कार्डमेम्बर(रॉ) के संदर्भ में किसी भी प्रकार की देयता के बगैर वैकल्पिक सेवाओं का प्रावधान सुलभ कराएगा, वैकल्पिक सेवाओं का

उपयोग किया जा सकता है, जब कोई भी कार्डमेम्बर उक्त वैकल्पिक सुविधाओं का उयोग करने का निर्णय ले तो उसमें सम्बद्ध संगत नियम एवं शर्तों की अनुप्रयोज्यता और अभिस्वीकृति अंतर्निहित होगी.

ये चार्ज भी विभिन्न मार्केटिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत परिवर्तित किए जाने की शर्त के अधीन हैं. कार्डमेम्बर को इन चार्ज के बारे में सूचित किया जाएगा.

विवरण	स्मार्ट माइल्स टाइटेनियम कार्ड	गो टाइटेनियम कार्ड	न्यू गोल्ड कार्ड	फ्रीडम/गुडलाइफ़/वन कार्ड	
स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग शुल्क ^{&}	कार्ड की किस्म के मुताबिक लागू शुल्क की जानकारी आवेदन करने के समय दे दी जाएगी और एक बार प्रमाणित हो जाने पर स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा.				
स्टैंडर्ड वार्किष शुल्क ^{&}	कार्ड की किस्म के मुताबिक लागू शुल्क की जानकारी आवेदन करने के समय दे दी जाएगी और एक बार प्रमाणित हो जाने पर स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा.				
स्टैंडर्ड ऐड-ऑन शुल्क ^{&}	रु. 750 प्रति बर्ष	शून्य	रु. 750 प्रति बर्ष	रु. 750 प्रति बर्ष	रु. 750 प्रति बर्ष
फायनांस चार्ज (रीटेल परचेज एवं कैश) [^]	APR, प्रति माह 3.5% तक (42% प्रति वर्ष)	APR, प्रति माह 3.5% तक (42% प्रति वर्ष)	APR, प्रति माह 3.5% तक (42% प्रति वर्ष)	APR, प्रति माह 3.5% तक (42% प्रति वर्ष)	APR, प्रति माह 3.5% तक (42% प्रति वर्ष)
बैलेंस ट्रांसफर फायनांस चार्ज ^{\$}	1.49% प्रति माह (17.88% प्रति वर्ष)	1.49% प्रति माह (17.88% प्रति वर्ष)	1.49% प्रति माह (17.88% प्रति वर्ष)	1.49% प्रति माह (17.88% प्रति वर्ष)	1.49% प्रति माह (17.88% प्रति वर्ष)
कैश एडवांस अंतरण शुल्क [^]	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)
कॉल-ए-ड्राफ्ट शुल्क	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)	नगद धनराशि का 2.5% (न्यूनतम रु. 300)
कार्ड रिप्लेसमेंट (गुम/चोरी हुआ/पुनःजारी)	रु. 200	रु. 200	रु. 200	रु. 200	रु. 100
कार्ड रिप्लेसमेंट (कोई अन्य प्लास्टिक रिप्लेसमेंट)	रु. 100	रु. 100	रु. 100	रु. 100	रु. 100
विदेश में होने	\$ (US) 148	\$ (US) 148	\$ (US) 148	\$ (US) 148	\$ (US) 148

पर इमर्जेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट (मास्टर कार्ड के जरिए)					
डुप्लीकेट स्टेटमेंट शुल्क	रु. 100				
ओवरड्यु पेनाल्टी/विलंबित भुगतान शुल्क	प्राप्त कुल धनराशि का 15% (न्यूनतम रु. 350, अधिकतम रु. 650)	प्राप्त कुल धनराशि का 15% (न्यूनतम रु. 350, अधिकतम रु. 650)	प्राप्त कुल धनराशि का 15% (न्यूनतम रु. 350, अधिकतम रु. 650)	प्राप्त कुल धनराशि का 15% (न्यूनतम रु. 350, अधिकतम रु. 650)	प्राप्त कुल धनराशि का 15% (न्यूनतम रु. 350, अधिकतम रु. 650)
ओवर लिमिट पेनाल्टी	रु. 600				
पुनः प्राप्ति शुल्क/कॉपी अनुरोध शुल्क	रु. 100				
आउटस्टेशन चैक शुल्क	रु. 100				
चैक रिटर्न/डिस्ऑनर शुल्क/ऑटोडेबिट रिचर्सल-बैंक एकाउंट में पैसा न होना	रु. 500				
ब्रांच में नकद भुगतान [#]	रु. 75 [#] प्रति अंतरण				
वर्ष के अंत में समरी स्टेटमेंट (YEES)- फिजिकल स्टेटमेंट शुल्क [#]	रु. 75 प्रति वर्ष ^{##}				
रेलवे टिकटों की खरीद/रद्दीकरण पर सरचार्ज	IRCTC सर्विस चार्ज + पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जस (टिकिट राशि + IRCTC	IRCTC सर्विस चार्ज + पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जस (टिकिट राशि + IRCTC	IRCTC सर्विस चार्ज + पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जस (टिकिट राशि + IRCTC	IRCTC सर्विस चार्ज + पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जस (टिकिट राशि + IRCTC	IRCTC सर्विस चार्ज + पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जस (टिकिट राशि + IRCTC सर्विस

	सर्विस चार्जस) के 1.8% तक	सर्विस चार्जस) के 1.8% तक	सर्विस चार्जस) के 1.8% तक	सर्विस चार्जस) के 1.8% तक	चार्जस) के 1.8% तक
पेट्रोल अंतरण चार्ज*	पेट्रोल अंतरण वैल्यू पर 2.5% अधिभार या रु. 10, इनमें से जो भी अधिक हो।	पेट्रोल अंतरण वैल्यू पर 2.5% अधिभार या रु. 10, इनमें से जो भी अधिक हो।	पेट्रोल अंतरण वैल्यू पर 2.5% अधिभार या रु. 10, इनमें से जो भी अधिक हो।	पेट्रोल अंतरण वैल्यू पर 2.5% अधिभार या रु. 10, इनमें से जो भी अधिक हो।	पेट्रोल अंतरण वैल्यू पर 2.5% अधिभार या रु. 10, इनमें से जो भी अधिक हो।
विदेशी मुद्रा अंतरण	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
	(किसी व्यापारी के भारत में स्थित होने के बावजूद उसके व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विदेश में पंजीकृत होने की हालत में उसके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हुए अंतरणों पर मास्टरकार्ड की तरफ से 0.8 का सीमापार चार्ज लगेगा)				

ये चार्जस विभिन्न मार्केटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत बदले जाने की शर्त के अधीन भी हैं। कार्डमेम्बर को इन बदलावों से अवगत कराया जाएगा।

*वैलेंस ट्रांसफर पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा।

*ये चार्ज एक कार्डमेम्बर से दूसरे कार्डमेम्बर में, और किसी विवरण के क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में अलग-अलग होते हैं। लागू चार्ज वही होंगे जो कार्डमेम्बर को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के समय और/या उक्त क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय सूचित किया जाएगा। आगे, ऐसे चार्ज, जो लागू हों, कार्डमेम्बर के एकाउंट में सीधे प्रभारित किए जाते हैं और तदनुसार क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं।

^^RBS प्लेटिनम, RBS VGPB प्लेटिनम, RBS VGPB स्मार्ट गोल्ड और RBS चार्टर मेम्बर स्मार्ट गोल्ड क्रेडिट कार्डस सहित विनिर्दिष्ट प्रकारों के क्रेडिट कार्डों के लिए एक महीने में रु. 10,000 तक की पेट्रोल खरीदों पर पेट्रोल सरचार्ज वर्तमान में माफ कर दिया गया है। हालांकि, इन विनिर्दिष्ट कार्ड प्रकारों के ले भी पेट्रोल से जुड़े ऐसे प्रत्येक अंतरण के लिए पेट्रोल सरचार्ज लिया जाएगा जो रु. 100 से कम या बराबर हो। यह माफी बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर है और परिवर्तित होने की शर्त के अधीन है।

^विवरण के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट देखें

प्लेटिनम कार्ड के लिए चार्ज वेबसाइट www.rbs.in पर प्लेटिनम कार्डमेम्बर्स सेक्शन में कार्डमेम्बर नियम एवं शर्तों में उपलब्ध हैं।

ब्याज दर और विलम्बित भुगतान शुल्क की गणना किस प्रकार की जाती है उनके ब्यौरे इस दस्तावेज में बाद में दिए गए हैं। ऐसे ब्यौरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rbs.in पर सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों सेक्शन भी देख सकते हैं।

सभी फीसों, ब्याजों और अन्य शुल्कों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर से सेवा शुल्क लगेगा जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बदली जा सकती है।

सीमापार अंतरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

सभी सीमा पार अंतरणों की कार्ड मेम्बर के एकाउंट में, उस दिन लागू बैंक निर्दिष्ट कन्वर्सन दरों पर भारतीय रुपयों में कन्वर्सन करने के बाद, भारतीय रुपए में बिलिंग की जाएगी जिस दिन अधिप्राप्तकर्ता द्वारा बैंक पर चार्ज नियत किया गया हो।

सीमापार अंतरणों पर चार्ज-अधिसूची में दिए अनुसार कन्वर्सन चार्ज लगेगा. अमरीकी डॉलर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में किए गए अंतरण पहले सौदे की राशि को मास्टर कार्ड निर्दिष्ट दरों पर डॉलरों में बदला जाएगा और फिर चार्जों को अनुसूची में यथानिर्दिष्ट लागू शुल्क लगाकर उसे रुपयों में परिवर्तित किया जाएगा.

घ) फायनांस चार्ज

i) फायनांस चार्ज सभी प्रकार के चार्ज पर मासिक प्रतिशत दर पर तब तक देय होते हैं जब तक कि उनका पूर्ण भुगतान न कर दिया जाए। इनमें कैश एडवांस भी शामिल हैं जिनमें ऐसे चार्ज उस तारीख से देय होते हैं जिस दिन से प्राथमिक कार्डमेम्बर और/या ऐड-ऑन कार्डमेम्बर ऐसे अंतरण करते हैं।

ii) फायनांस चार्ज ATMs पर कैश निकासी पर, डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर देने, अन्य क्रेडिट कार्ड एकाउंट्स से बालेंस ट्रांसफर करने पर भी लगाए जाते हैं।

iii) चार्ज कैश या कैश समतुल्य की निकासीकी तिथि से और बैंकर्स चैक के जारी करने की तिथि से जैसा भी मामला हो, लागू होते हैं। परचेज के लिए फायनांस चार्ज केवल तभी लगाए जाएंगे जब सम्पूर्ण बकाया राशि का देय तिथि तक पूर्ण भुगतान न किया गया हो। अन्य क्रेडिट कार्ड एकाउंट्स से बैलेंस ट्रांसफर करने की दशा में फायनांस चार्ज ट्रांसर की गई धनराशि पर बैंकर्स चैक जारी करने की तिथि से और कार्डमेम्बर के कार्ड एकाउंट पर कोई भी परचेज धनराशि के बकाया रहने के तुरंत बाद प्रोदभूत हो जाते हैं।

iv) यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान अंतिम देय तिथि के बाद भी नम किया गया या किए जाने वाले भुगतान की राशि न्यूनतम देय राशि से कम होगी तो लेट पेमेंट फीस लग जाएगी. कुल क्रेडिट लिमिट से अधिक कुल बकाया राशि पर ओवर दी लिमिट चार्ज देय है।

v) देय फायनांस चार्ज प्रत्येक स्टेटमेंट पीरियड की अंतिम तिथि के दिन आपके कार्ड एकाउंट के नामे डाले जाते हैं और आपके स्टेटमेंट में दर्शाए जाते हैं।

vi) उपर्युक्त फायनांस चार्ज कार्ड एकाउंट के बंद होने का बाद भी तब तक देय बने रहेंगे जब तक कि कार्ड एकाउंट पर की बकाया धनराशि का पूर्णतः निपटारा न कर दिया जाए।

vii) आपके कार्ड एकाउंट पर लागू फायनांस चार्ज के लिए कृपया चार्ज की अनुसूची का अवलोकन करें।

viii) ये शुल्क आपके भुगतान, उपयोग, आंतरिक जोखिम प्रोफाइल और सीबीआईएल जैसी बाहरी एजेंसियों के स्कोर्स पर चार्ज किए जाएंगे। आपके अकाउंट पर लागू दरों में किसी भी परिवर्तन की सूचना उसकी प्रभावी तिथि से कम से कम 30 दिन पहले आपके स्टेटमेंट में आपको दी जाएगी। आप जब भी लागू दर के बारे में जानना चाहें तो कृपया बैंक-बाई-फोन पर कॉल करें।

ड. ब्याज मुक्त रियायत अवधि

ब्याज मुक्त रियायत अवधि 20 से 50 दिनों के बीच हो सकती है। हालांकि, वह रियायत अवधि तब लागू नहीं होती है जब पिछले महीने के बैलेंस का पूर्ण निपटारा न कर दिया गया हो या अगर आपने ATM से कैश निकाला हो. उदाहरण के लिए, जिस अकाउंट की स्टेटमेंट तिथि 20/11/2005 हो उसकी भुगतान देय तिथि 10/12/2005 होगी यानि स्टेटमेंट तिथि से 20 दिन जिसे ब्याज मुक्त रियायत अवधि कहा जाता है।

च. ब्याज प्रभार (चार्ज) की गणना

ब्याज की गणना प्रत्येक दिन की समाप्ति पर दैनिक आधार पर की जाती है। इसका आधार कस्टमर का चालू बकाया शेष होता है। भिन्न-भिन्न प्लानों (जैसे रीटेल अंतरण, कैश एडवांस, आदि) के लिए ब्याज की अलग-अलग गणना की जाती है। कैश एडवांस के लिए ब्याज अंतरण की तारीख से लिया जाता है लेकिन, रीटेल अंतरणों के लिए ब्याज केवल तभी दोगेय होता है जब कस्टमर भुगतान देय तिथि तक अपने पूर्ण प्रारंभिक बैलेंस का भुगतान नहीं कर पाता है।

निम्नलिखित मानदण्डों के अंतर्गत कस्टमर को ब्याज नहीं लगता है:

- स्टेटमेंट तिथि के दिन प्रारंभिक बैलेंस शून्य हो।
- स्टेटमेंट तिथि के दिन प्रारंभिक बैलेंस शून्य नहीं हो लेकिन, कार्डमेम्बर ने भुगतान देय तिथि तक अपने पूर्ण प्रारंभिक बैलेंस के 100% का भुगतान कर दिया हो।

अगर नियम तिथि तक भुगतान ना किया गया हो तो बकाए मेम्बरशिप शुल्क, NSF शुल्क, ब्याज, सर्विस टैक्स, ओवर लिमिट एवं विलंबित भुगतान शुल्क पर भी ब्याज लगाया जाता है।

ब्याज शुल्क निकालने के उदाहरण:

यदि भुगतान की देय तिथि तक बकाया राशि के केवल एक अंश का हो भुगतान किया जाए

यदि स्टेटमेंट की तारीख को, जैसे-महीने के 2 तारीख को महीने का प्रारंभिक बैलेंस रु. 10,1000 है और भुगतान की देय तिथि तक केवल रु. 70 का भुगतान किया जाता है तो इस अकाउंट पर लिया जाने वाला दैनिक ब्याज रु. 501.23 होगा।

अंतरण:

दिनां

लेनदन

राशि

02 जनवरी-09	स्टेटमेंट की तारीख	कुल बकाया राशि 10,000 न्यूनतम देय राशि 700
10 जनवरी-09	होटल अंतरण	4,000
15 जनवरी-09	मोबाइल बिल का भुगतान	2,000
22 जनवरी-09	भुगतान जमा	700
02 फरवरी-09	स्टेटमेंट तिथि	कुल बकाया राशि 10,000 न्यूनतम देय राशि -700

प्राप्त राशि पर ब्याज नीचे दिए अनुसार जोड़ा जाएगा:

दैनिक ब्याज=बकाया राशि *(3.5%* 12 महीने)/365

ब्याज की गणना करना:

अंतरण राशि	अवधि	दिनों की संख्या	ब्याज राशि
400	10 जनवरी, 2009 से 02 फरवरी, 2009	24	110.46
2000	15 जनवरी, 2009 से 02 फरवरी, 2009	19	43.73
10000	03 जनवरी, 2009 से 21 जनवरी, 2009	19	218.63
पिछले महीने का बकाया) 9300 (रु. 700 का भुगतान समायोजित करने के बाद शेष बैलेंस)	22 जनवरी, 2009 से 02 फरवरी, 2009	12	128.41

इस प्रकार कुल लिया जाने वाला ब्याज रु. 501.23 होगा

चूंकि कार्डमेम्बर ने पिछले महीने की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है इसलिए उसके आगे के सभी अंतरणों पर उनकी तारीख से ब्याज लगेगा। ब्याज की राशि प8र लागू दरों पर सेवाकर लगाया जाएगा।

छ) बिलंबित भुगतान शुल्क

कार्डमेम्बर पर बिलंबित भुगतान शुल्क (LPF) तब लगाया जाता है जब कोई भुगतान नहीं हुआ हो या भुगतान देय तिथि तक न्यूनतम देय धनराशि (MAD) से कम भुगतान प्राप्त किया गया हो। विलंबित भुगतान शुल्क कुल देय धनराशि के 15% की दर से लिया जाता है जो न्यूनतम रु. 350.00 और अधिकतम रु. 650.00* की शर्त के अधीन होता है (*1 जून, 2008 से प्रभावी)

विलंबित भुगतान शुल्क परिकलन के उदाहरण: किसी एकाउंट पर कुल देय धनराशि (TAD) रु. 3400.00 और भुगतान देय तिथि 4 अगस्त, 2006 मानिए। अगर कार्डमेम्बर भुगतान प्राप्य तिथि तक MAD का भुगतान नहीं करता है तो साइकल (चक्र) तिथि के दिन रु. 510 का विलंबित भुगतान शुल्क अधिरोपित कगिया जाएगा। TAD का 15% x रु. 3400=रु. 510.000

ज) कार्ड अकाउंट की बकाया राशि कुल वर्तमान सीमा से ज्यादा होने पर **ओवर लिमिट पेनाल्टी** लगाई जाती है।

3. क्रेडिट एवं कैश निकासी लिमिट्स

क) बैंक अपने विवेकाधिकार से आपकी क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमा तय करेगा और कार्ड कैरियर तथा मासिक स्टेटमेंटों में इसकी सूचना भी देता रहेगा। लेकिन, आप यह सीमा कम रखने का अनुरोध कर सकते हैं और अतिरिक्त कार्ड सदस्य को फ्लेक्सी लिमिट फीचर (लचीली सीमा व्यवस्था) के तहत कोई विशेष क्रेडिट लिमिट सीमा भी दी जा सकती है। बैंक नीतियों के तहत कार्ड अकाउंट में स्वीकृत क्रेडिट सीमा समय-समय पर बदली जा सकती है। आपके सभी कार्ड अकाउंट्स पर कुल क्रेडिट सीमा और उपलब्ध क्रेडिट सीमा आपकी स्टेटमेंट में दर्शायी जाती है तथा आपके एड-ऑन कार्डों सहित सभी कार्ड अकाउंट्स में उपलब्ध रहती है। क्रेडिट सीमा (लिमिट) से दरे होने वाले किसी ऑथराइज़ेशन को बैंक पास नहीं करेगा।

ख) क्रेडिट कार्ड एकाउंट पर का बकाया किसी भी समय कुल क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा करने पर कुल क्रेडिट लिमिट से जो धनराशि अधिक हो उसकी परवाह किए बगैर लागू शुल्क आपसे लिया जाएगा। अतिरिक्त धनराशि का तत्काल भुगतान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका कार्ड कैंसल कर दिया जाए तो क्रेडिट लिमिट और कार्ड एकाउंट समाप्त कर दिए जाएंगे।

ग) अगर आप मासिक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्य धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान करते हैं तो आप क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे और उसे अनुवर्ती मासिक स्टेटमेंट्स के अनुसार देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा।

4. बिलिंग

क) बिलिंग एवं स्टेटमेंट

i) बैंक प्रत्येक बिलिंग पीरियड (जिसे इसमें इसके बाद "स्टेटमेंट" कहा गया है), जिसके दौरान कार्ड एकाउंट पर कोई अंतरण हुआ हो या बकाया हो, के लिए महीने में एक बार आपके मेलिंग पते पर एक स्टेटमेंट भेजेगा। बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों डाक, फैंक्स, ई-मेल या SMS मेसेजिंग के माध्यम से स्टेटमेंट भेजने का विकल्प चुन सकता है। स्टेटमेंट के प्राप्त न होने से इस एग्रीमेंट के अंतर्गत

आपकी बाध्यताओं एवं देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप चार्जज उत्पन्न होने के 60 दिनों के भीतर कार्ड पर के बकाया बैलेंस का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

ii) बैंक मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों से प्राप्त सभी प्रकार के डेबिट्स और उत्पन्न चार्जज के लिए कार्ड एकाउंट से डेबिट करेगा और कार्डमेम्बर द्वारा बैंक को किए गए सभी प्रकार के भुगतानों के साथ-साथ कार्डमेम्बर के नाम में किए गए भुगतानों के लिए कार्ड एकाउंट में क्रेडिट करेगा।

iii) सभी बैंक क्रेडिट कार्ड (काडर्स) कार्डमेम्बर (रॉ) को रिवाल्विंग क्रेडिट सुविधा दे सकते हैं जिसमें कार्डमेम्बर स्टेटमेंट में यथा-निर्दिष्ट केवल न्यूनतम देय धनराशि (MAD) का भुगतान करने का निर्णय ले सकते हैं। कार्डमेम्बर द्वारा, उससे प्राप्य कुल देय भुगतान (TAD) या MAD, भुगतान देय तिथि के दिन या उसके पहले भेजी जानी चाहिए जो स्टेटमेंट पर भी निर्दिष्ट की जाती है। MAD वह न्यूनतम धनराशि होती है जिसका आपको अपने कार्ड एकाउंट को अच्छी क्रेडिट स्थिति में रखने के लिए भुगतान करना जरूरी होता है। यह राशि आपकी देय कुल कोई भी पिछली अनपेड राशि (न्यूनतम 200) के 7% के हिसाब से निकाली जाती है। न्यूनतम राशि और सर्विस टैक्स (अगर लागू) आपकी मौजूदा न्यूनतम राशि में जोड़ दी जाएगी।

iv) आपके किसी भी कार्ड/लोन एकाउंट्स र भुगतान देय तिथि तक न्यूनतम प्राप्य धनराशि का भुगतान न करे की दशा में सभी कार्ड एकाउंट्स से कार्ड प्रिविलेज (विशेष सुविधाएं) हटा लिए जाएंगे या निलंबित कर दिए जाएंगे (अस्थायी या स्थायी रूप से)। ऐसे नॉन-पेमेंट के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से मर्चेन्ट प्रतिष्ठान को क्रेडिट कार्ड को महत्व नहीं देने और/या कार्ड नम्बर को बैंक द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनी बुलेटिन में सूचीबद्ध करके कार्ड को कस्टडी में लेने या अन्यथा के लिए कह सकता है।

v) आप भुगतान देय तिथि के पहले न्यूनतम देय धनराशि से अधिक धनराशि का बिलिंग अवधि के दौरान एक से अधिक बार भुगतान कर सकते हैं या कार्ड एकाउंट पर बकाए बैलेंस का कभी भी भुगतान कर सकते हैं। अगर आप रु. 5000/- खर्च करते हैं और आप प्रत्येक महीने ठीक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप बकाया राशिपर परिणामी ब्याज के भुगतान के साथ रिपेमेंट 6 बर्षों की कालावधि तक विस्तारित हो सकता है। इसलिए, जब कभी भी आपका नकद प्रवाह अनुमति देता हो तो आपको ठीक अपने न्यूनतम देय राशि से अधिक का भुगतान करना चाहिए।

vi) अगर कार्डमेम्बर कुल देय भुगतान के हिस्से या MAD (जो किसी भी परिस्थिति में MAD से कम नहीं होगी) का भुगतान कर देता है तो देय बकाया बैलेंस धनराशि अनुवर्ती स्टेटमेंट्स में आगे ले जाई जाएगी। इस धनराशि पर पूर्ण एवं अंतिम भुगतान होने की तारीख तक फायनांस चार्जज लगेंगे।

vii) आपके पत्र-व्यवहार के पते में बदलाव होने की दशा में आपको बैंक से तत्काल सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है जिससे कि आपको स्टेटमेंट्स नियमित रूप से और समय पर मिलते रहें।

viii) बैंक द्वारा एकाउंट का डुप्लीकेट मासिक स्टेटमेंट आपके अनुरोध के पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि तक के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि सर्विस चार्ज का भुगतान कर दिया गया हो, बशर्ते कि बैंक के विवेकाधिकार से परिवर्तन न हुआ हो जैसाकि चार्जज की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

ख) भुगतान

i) कार्डमेम्बर(रों) से प्राप्त भुगतान करों, शुल्कों, अन्य चार्जज, ब्याज चार्जज, परचेज और कैश एडवांस में- इसी क्रम में-समायोजित किए जाएंगे।

ii) भुगतान ड्राफ्ट, चैक, कैश के जरिए या बैंक में मौजूद किसी अन्य डिपॉजिट एकाउंट से डेबिट करके कार्ड एकाउंट में क्रेडिट करने के लिए बैंक को स्थायी अनुदेश या ऑटो डेबिट अनुदेश देकर किया जा सकता है। आप बैंक या किसी अन्य बैंक में मौजूद अपने खाते से सीधे डेबिट करने और अपने कार्ड एकाउंट में क्रेडिट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ECS) के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। यदि आपका आरबीएस जमा खाता है तो आप नेटवैंकिंग के जरिए ऑनलाइन, एटीएम से या फोन द्वारा फंड ट्रांसफर सुविधा से भी भुगतान कर सकते हैं। आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर – NEFT- फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं। NEFT द्वारा भुगतान करने के लिए आप उस बैंक की नेटवैंकिंग पर जाएं जहाँ से आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं और फंड्स ट्रांसफर्ड प्राप्त करने के लिए अपना आरबीएस क्रेडिट कार्ड नम्बर डालें। आउटस्टेशन चैक्स/ड्रॉफ्ट्स यानि कुछ निश्चित निर्दिष्ट शहरों (ऐसे निर्दिष्ट शहरों की सूची बैंक द्वारा समय-समय पर बनाई जाती है और मांगने पर उपलब्ध कराई जाएगी) के सिवाय अन्य शहरों पर देय चैक्स/ड्रॉफ्ट्स पर प्रोसेसिंग शुल्क लगेंगे। आउटरस्टेशन चैक्स की प्रोसेसिंग से संदर्भित शुल्क का चार्जज की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ऐसे स्थानों की सूची और प्रोसेसिंग शुल्क में बदलाव किया जा सकता है।

iii) हम आपसे समय रहते अपना चैक/ड्राफ्ट मेल करने या अपना चैक/ड्राफ्ट किसी भी निर्दिष्ट ड्राप बॉक्स में डालने का अनुरोध करते हैं जिससे कि भुगतान देय तिथि के दिन या उसके पहले भुगतान इन्स्ट्रु के क्लीयरेंस के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगर आपका भुगतान इन्स्ट्रुमेंट बाद में डिस्ऑनर हो जाता है या भुगतान देय तिथि तक भुगतान न्यूनतम देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कार्ड/लोन एकाउंट पर चार्जज की अनुसूची में उल्लिखित शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। आपके किसी भी अन्य कार्ड/लोन एकाउंट्स पर प्राप्य धनराशि का भुगतान न करने की दशा में कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं निलंबित/समाप्त की जा सकती हैं। बैंक कोई भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

iv) कार्ड एकाउंट मद में अग्रलिखित में से किसी भी एक तरीके से भुगतान किया जा सकता है। स्टेटमेंट के रिवर्स में दिए गए किसी भी एक पते पर चैक या ड्राफ्ट डाक से भेज कर। चैक/ड्राफ्ट “RBS xxxx xxxx

xxxx xxxx”। पर देय होने चाहिए। अगर आपके पास बैंक खाता है तो आप स्थायी अनुदेश सुविधा का चुनाव कर सकते हैं जिसमें फंड्स आपके बैंक एकाउंट से आपके कार्ड एकाउंट में अपने आप अंतरित किए जा सकते हैं।

ग) बिलिंग विवाद

स्टेटमेंट(टों) की सभी विषय-वस्तुएं ठीक एवं कार्डमेम्बर(रों) द्वारा तब तक स्वीकृत मानी जाएंगी जब तक कि स्टेटमेंट जारी होने के 60 दिनों के भीतर कार्डमेम्बर बैंक को किसी प्रकार की असंगति के बारे में नहीं सूचित करे। अगर बैंक द्वारा पूर्वोक्त असंगतियां जायज पाई जाती हैं तो बैंक तब तक के लिए अस्थायी आधार पर चार्ज को रिक्स कर सकता है जब तक कि बैंक द्वारा अपनी पूर्ण एवं अंतिम संतुष्टि के अनुरूप अनुवर्ती जांच-पड़ताल पूरी न कर ली जाए। अगर बैंक द्वारा की गई उक्त जांच-पड़ताल से यह इंगित होता है कि वैसे (असंगतियों) चार्ज की देयता उक्त कार्डमेम्बर(रों) पर ही बनती है तो चार्ज अनुवर्ती स्टेटमेंट में पुनःडाल दिए जाएंगे और बैंक द्वारा इसमें ऊपर निर्दिष्ट चार्ज के अनुसार बैंक द्वारा शुल्क/चार्ज का दावा किया जाएगा। इसमें चाहे जो भी प्रावधान हो, बैंक, बैंक द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणाम से उक्त कार्डमेम्बर(रों) को सूचित करने में 60 दिनों से अधिक का समय नहीं लेगा।

घ) कार्टैक्ट चैनल्स

कार्डमेम्बर किसी भी प्रकार की पूछताछ और/या शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक सम्पर्क माध्यम के जरे बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं।

- अपने शहर में फ़ोन नंबर के जरिए 24 घंटे फ़ोन से – ऐसे नम्बरों की सूची बैंक की वेबसाइट, कार्ड स्टेटमेंट, कार्ड प्लास्टिक और क्रेडिट कार्ड वेल्कम किट में दी गई है।
- निम्नलिखित पते पर ई-मेल भेजें in.cardsevice@rbs.com
- बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन को निम्नलिखित पते पर लिख कर

द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी. एनवी

क्रेडिट कार्ड्स

पी.ओ. बॉक्स 418, जी.पी.ओ.

नई दिल्ली – 110001

ड) क्रेडिट कार्ड्स – शिकायत निवारण

RBS में हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ स्तर की सेवा प्रदान की जाए। हालांकि, अगर हमारी सेवाएं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं तो हम आपकी बात सुनना चाहेंगे।

आप निम्नलिखित सम्पर्क माध्यमों के जरिए बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं:

लेवल 1

कृपया निम्नलिखित फ़ोन नम्बरों पर हमारे 24 घंटे बैंक बाय फ़ोन पर कॉल करें। हमारे एक्सक्यूटिव्स आपकी सहायता करेंगे।

आपके संदर्भ के लिए फ़ोन नम्बरों के जरिए सुलभ हमारे 24 घंटे बैंक बाय फ़ोन का विवरण नीचे दगिया गया है:

अहमदाबाद: 9227921111, बेंगलौर: 41245555, चेन्नई: 2821 5151, कोचिन: 9249421111, कोयम्बटूर: 92820 21111, दिल्ली एनसीआर: 411 1111, हैदराबाद: 6666 1234, कानपुर: 0522 398 2500, कोल्हापुर: 022 66271111, कोलकाता: 44341111, लखनऊ: 398 2500, मंगलौर: 300 1500, मुरादाबाद: 92355 21111, मुंबई: 66271111, नागपुर: 022 66271111, पानीपत: (0124)-411 1111, पुणे: 66421111, पंजाब: 9216501111, राजस्थान: 92143 01111, सेलम: 9282021111, सूरत: 9824902224, तिरुपुर: 9882021111, वडोदरा 661 9999, विज़ाग: 040 6666 1234, टॉल-फ्री नं. 1800112224

अथवा

कृपया निम्नलिखित पते पर लिखे:

मैनेजर – क्रेडिट कार्ड्स क्लेरेंट रिस्पांस यूनिट

द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी.

पो.ओ. बॉक्स 418, जी.पी.ओ.

नई दिल्ली – 110001

हम आपके प्रश्न के स्वरूप और उसके समाधान एवं प्रत्युत्तर देने में लगने वाले समय के आधार पर आपका पत्र या ई-मेल मिलने के 7 दिनों के भीतर आपको उत्तर देंगे।

हमें लिखने के समय कृपया हमें निम्नलिखित विवरणों के साथ लिखें जिससे कि हमें आपकी चिंताओं को दूर करने में सहूलियत हो।

1. आपका पूरा नाम
2. आपका क्रेडिट कार्ड नम्बर
3. आपके कांटैक्ट विवरण (पता, टेलीफोन नम्बर और ई-मेल)

लेवल 2

आगर आपको 7 दिनों के भीतर हमसे रिस्पांस नहीं मिलता है या आप हमारे द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निम्नलिखित पते पर ई-मेल भेज सकते हैं।

हैड-कार्ड सर्विसेज को:

headcardservices@rbs.com पर:

अथवा निम्नलिखित पते पर लिखे:

हैड, कार्ड सर्विसेज

द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी.

9वां मंजिल, टावर सी, साईबर ग्रीन्स, DLF साईबर सिटी,

सेक्टर 25ए,

गुडगाँव – 122002

कृपया अपने एकाउंट नम्बर/क्रेडिट कार्ड नम्बर के साथ रेफरेंस नम्बर, जो आपको आपके पहले के इंटरएक्शन में उपलब्ध कराया गया है, का उल्लेख करें जिससे हमें आपकी समस्या समझाने और उसे दूर करने में मदद मिल सके।

लेवल 3

अगर आप तब भी आपको दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारे नोडल अधिकारी सुश्री रेणु जोशी से ई-मेल: nodalofficercards@rbs.com के जरिए या निम्नलिखित पते पर लिखकर सम्पर्क कर सकते हैं:

रोजीना सहगल – नोडल अधिकारी

द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी.

9वां मंजिल, टावर सी, साईबर ग्रीन्स, DLF साईबर सिटी,

सेक्टर 25ए,

गुडगाँव – 122002,

टेलीफ़ोन नं.- 91-124-418 1282

फ़ैक्स-0124-418 1240

कृपया अपने एकाउंट नम्बर/क्रेडिट कार्ड नम्बर के साथ रेफरेंस नम्बर, जो आपको आपके पहले के इंटरएक्शन में उपलब्ध कराया गया है, का उल्लेख करें जिससे हमें आपकी समस्या समझाने और उसे दूर करने में मदद मिल सके।

लेवल 4

फाइनल एस्केलेशन एवं बैंकिंग लोकपाल स्कीम

कृपया सम्पर्क करे:

श्री अंशुमन सोमानी

द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.बी.

9वीं मंजिल, टावर सी, साईबर ग्रीन्स

DLF साईबर सिटी, सेक्टर 25-ए

गुडगांव – 122002

ई-मेल: anshuman.somani@rbs.com

अगर आपको उस तारीख से 60 दिनों के भीतर “फाइनल रिस्पांस” नहीं मिलता है जिस दिन आपने पहली बार अपने मुद्दे को उठाया था या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप स्वतंत्र समीक्षा के लिए बैंकिंग लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006 के उदधरण आपके संदर्भ के लिए संलग्न है:

बैंकिंग लोकपाल के यहां कोई भी शिकायत तब तक नहीं रहेगी जब तक कि नहीं:

(i) शिकायतकर्ता ने बैंकिंग लोकपाल के यहां शिकायत करने से पहले बैंक को लिखित अभ्यावेदन दिया हो और बैंक ने शिकायत अस्वीकृत कर दिया हो या शिकायतकर्ता ने बैंक में उसका अभ्यावेदन प्राप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया हो या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ हो;

(ii) शिकायतकर्ता द्वारा उसके अभ्यावेदन पर बैंक का उत्तर मिलने के एक वर्ष के बाद न शिकायत की गई हो अथवा जहां बैंक में अभ्यावेदन देने की तिथि से एक वर्ष और एक महीने के बाद कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो;

(iii) शिकायत कोई वैसी ही विषय-वस्तु के संदर्भ में न हो जिसका बैंकिंग लोकपाल द्वारा किसी पिछली कार्यवाही, चाहे वह उसी शिकायतकर्ता से या एक या अधिक शिकायतकर्ताओं या विषय-वस्तु से जुड़े एक या अधिक पक्षकारों से प्राप्त हुई हो, में मेरिट के आधार पर निपटारा किया गया हो या कार्रवाई की गई हो;

(iv) शिकायत ऐसी सदृश विषय-वस्तु से संबंधित हो जिसके लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य फोरम में कार्यवाहियां लंबित हो या ऐसे किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या फोरम द्वारा डिक्री या अर्वाइ या आर्डर पारित किया गया हो;

(v) शिकायत तुच्छ या तंग करने वाले स्वरूप का न हो; और

(vi) शिकायत ऐसे दावों के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत विहित परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पहले की गई हो

बैंकिंग लोकपाल स्कीम पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया www.rbi.org.in विजिट करें।

5. डिफॉल्ट

डिफॉल्ट होने की दशा में कार्डमेम्बर को क्रेडिट कार्ड एकाउंट पर किसी प्रकार के बकाए का निपटारा करने के लिए डाक, फैक्स, टेलीफोन ई-मेल, एसएमएस मेसेजिंग के जरिए समय-समय पर रिमाइंडर भेजे जाएंगे और/या रिमाइंड करने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और प्राप्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए थर्ड पार्टियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस प्रकार नियुक्त कोई भी थर्ड पार्टी ऋण कलेक्शन के संदर्भ में समय-समय पर लागू आचार-संहिता का पूर्ण अनुपालन करेगी। निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटना का घटित होना

डिफॉल्ट की घटना कहलाएगी और बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा वापस ले सकती है। डिफॉल्ट की घटनाएं निम्नलिखित के अनुसार हैं:-

- कार्डमेम्बर बैंक को देय धनराशि की विनिर्धारित अवधि के भीतर अदायगी करने में लगातार विफल रहता है।
- कार्डमेम्बर, कार्डमेम्बर एग्रीमेंट एग्रीमेंट के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहता है।
- बैंक को डिलीवरी किए गए कोई चैक और/या ईसीएस/स्थायी अनुदेशों का प्रस्तुतीकरण किए जाने पर, चाहे किसी भी कारण से, न भुनाया जा सकना/कार्रवाई न किया जा सकना।
- कार्डमेम्बर द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन के असत्य, गलत, या अपूर्ण साबित होना, जिसमें बैंक को अग्रेषित किए गए आमदनी और/या पहचान कागजात/दस्तावेज, शामिल तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, के गलत, अपूर्ण साबित होना, और/या गलत/कपटपूर्ण जानकारी देना।

ख) डिफॉल्ट रिपोर्ट के हटाए जाने की प्रक्रिया और वह अवधि, जिसके भीतर प्राप्य शुल्कों का निपटारा हो जाने के बाद ऐसी रिपोर्ट हटा ली जाएगी, नीचे दी गई हैं:

- प्रश्नगत डिफॉल्टर ने बैंक के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया धनराशि परिसमाप्त कर दी है या बैंक को देय राशि का निपटारा कर दिया है।
- बैंक द्वारा या के विरुद्ध दायर कानूनी वाद में बैंक के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय प्राप्त हुआ हो जिसमें बैंक को अनुदेश दिया गया हो कि वह कार्डमेम्बर को डिफॉल्ट रिपोर्ट से डि-लिस्ट करे। निर्णय मामले दर मामले आधार पर अलग-अलग मामलों की समीक्षा के आधार पर लिए जानते हैं।

ग) डिफॉल्ट होने की दशा में बैंक विवाद को एकमात्र मध्यस्थ, जो माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996, समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के नामोदृष्टि अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा, को भोज कर धनराशि की वसूली कर सकता है। माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। माध्यस्थम् कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी।

घ) कार्डमेम्बर की मृत्यु होने/स्थायी रूप से अशक्त होने की दशा में प्राप्य शुल्कों की वसूली करना। कार्डमेम्बर की मृत्यु होने या स्थायी रूप से अशक्त होने पर बैंक प्राप्य धनराशि की वसूली करने की कोशिश करेगा और कार्डमेम्बर के कानूनी वारिस से मिल कर एकाउंट के ड्यूज का सौहार्दपूर्ण निपटारा करेगा।

ड) कार्डमेम्बर के लिए उपलब्ध इंश्योरेंस कवर और इंश्योरेंस पॉलिसी कवर के एक्टिवेशन की तारीख। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से कुछ कार्डमेम्बर्स को बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ बीमा कवर की पेशकश करने का निर्णय ले सकता है। बैंक द्वारा एक ग्रुप इंश्योरेंस कवर खरीदा गया है (वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जा रहा है) कार्डमेम्बर्स में से जिन कार्डमेम्बर्स को बैंक ने ऐसे बीमा कवर को ऑफर करने का निर्णय लिया है उनमें यह कवर केवल सभी एक्टिव कार्डमेम्बर्स को उनके कार्डमेम्बर बनते ही उपलब्ध हो जाता है। कवर को एक्टिव होने के लिए कार्डमेम्बरने नुकसान की तिथि से

90 दिन पहले की अवधि में अपने क्रेडिट कार्ड का कम से कम एक बार इस्तेमाल अवश्य किया हुआ होना चाहिए। कार्डमेम्बर को निम्नलिखित कवर उपलब्ध हो सकते हैं:

क) दुर्घटना बीमा

ख) जीरो लॉस्ट कार्ड देयता

ग) क्रेडिट शील्ड

कार्डमेम्बर द्वारा धारण किए गए क्रेडिट कार्ड के स्वरूप के आधार पर बीमा कवर में परिवर्तन हो सकता है। बीमा कवर्स पर विस्तृत विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rbs.in का अवलोकन करें। वेलकम किट के साथ बीमा प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। अगरह बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से कार्डमेम्बर्स को बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ बीमा कवर की पेशकश करने का निर्णय लेता है तो वेलकम किट के साथ बीमा का प्रमाणपत्र डिस्पैच किया जाएगा जिसमें दावा निपटान के विवरण दिए रहेंगे।

6. कार्डमेम्बरशिप का समाप्त किया जाना/समाप्ति हटाया जाना

क) कार्डमेम्बर या तो लिखित अनुरोध के साथ या फोन सर्विस द्वारा 24 आवर्स बैंक में कॉल करके, जिसमें सभी सुविधाओं और क्रेडिट कार्ड (कार्डस) से जुड़े सभी बेनीफिट्स को समाप्त करने का अनुरोध किया गया हो, सी क्रेडिट कार्ड (कार्डस) को मैग्नेटिक स्ट्रिप के आर-पार विकर्णतः आधे-आधे हिस्सों में काटते हुए बैंक को लौटा कर किसी भी समय इस एग्रीमेंट को समाप्त कर सकते हैं। समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब बैंक को अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड (कार्डस), यदि कोई हों, के सहित सभी क्रेडिट कार्ड (कार्डस) प्राप्त हो जाएं और क्रेडिट कार्ड एकाउंट (एकाउंट्स) के संदर्भ में सभी बकाया धनराशि का भुगतान हो जाए। प्राथमिक कार्डमेम्बर बैंक को लिखित रूप में अधिसूचित करते हुए अतिरिक्त कार्ड (कार्डस) का इस्तेमाल रद्द कर सकते हैं लेकिन, इतना करकने के बावजूद प्राथमिक कार्डमेम्बर अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड (कार्डस) के इस्तेमाल से उत्पन्न सभी चार्जज/शुल्कों के लिए इतरदायी होंगे। कोई भी वार्षिक शुल्क और/या अन्य चार्जज यथानुपात आधार पर लौटाए जाएंगे।

ख) बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय क्रेडिट कार्ड सुविधा को तत्काल समाप्त कर सकता है या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए या बिना कोई नोटिस दिए कार्ड का इस्तेमाल सीमित कर सकता है। जिस मामले में बैंक क्रेडिट कार्ड सुविधा समाप्त कर दे उसमें कार्ड एकाउंट पर बकाया सभी धनराशि (उन चार्जज या कैश एडवांस के समेत जो अभी डेबिट नहीं किए गए हैं) तत्काल प्राप्य और देय हो जाएगी। बैंक रद्द किए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी प्रतिष्ठानों (जहां क्रेडिट कार्ड वैध/स्वीकृत हों) को सूचित कर सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड कैंसल किया जाता है तो कार्डमेम्बर को उसे अवश्य रूप से आधा-आधा विकर्णतः काट देना चाहिए और दोनों ही अर्ध टुकड़े बैंक को तत्काल लौटा दिए जाने चाहिए। ई भी वार्षिक शुल्क या अन्य चार्जज यथानुपात आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे।

ग) अगर कार्डमेम्बर अपना रोजगार, प्रोफेशन या पता बदल लेता है, या तैनाती के उसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित हो जाता है, या अपना सैलरी एकुंट/मेन बैंक एकाउंट आदि (जैसा भी मामला हो) बदल लेता है तो बैंक को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा बंद करने का अधिकार होगा। कार्डमेम्बर को यह विशेष रूप से अभिस्वीकृत करना होगा कि क्रेडिट कार्ड एकाउंट के एक बार कैंसल/बंद होने की दशा में क्रेडिट कार्ड के प्रिविलेजेज (सभी बेनीफिट्स एवं सेवाओं के सहित) हटा लिए जाएंगे और वैसे प्रिविलेजेज अपने आप बहाल नहीं हो जाएंगे और यह बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार से घटित होगा। क्रेडिट कार्ड के कैंसल होने (चाहे किसी भी कारण से) पर कार्डमेम्बर:

- को क्रेडिट विकर्णत: आधे-आधे कटे हुए हिस्सों को बैंक को वापस किए जाने तक चार्जज के भुगतान के सहित कार्ड के किसी भी प्रकार के इस्तेमाल के लिए जिम्मेवार होगा।
- क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान किया जाना अवश्य रूप से जारी रखना चाहिए।

7. कार्ड का गुम हो जाना/चोरी किया जाना/दुरुपयोग करना

क) क्रेडिट कार्ड के गुम हो जाने, चोरी किए जाने, प्राप्त न होने, द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड या किसी अन्य बैंक के ATM द्वारा निगल लिए जाने या कार्डमेम्बर की अनुमति के बगैर दुरुपयोग किए जाने की दशा में कार्डमेम्बर को तत्काल बैंक को अधिसूचित करना चाहिए। गुम/चोरी/कार्ड के निगले जाने/दुरुपयोग होने की दशा में कार्डमेम्बर को फ़ोन सर्विस द्वारा 24 आवर्स बैंक में तत्काल कॉल करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के डिएक्टिवेशन/ब्लॉकिंग का अनुरोध करना चाहिए। इसके अलावा, गुम/चोरी/दुरुपयोग होने की दशा में कार्डमेम्बर को पुलिस शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर करने के बाद ऐसे गुम होने/चोरी होने/दुरुपयोग हे के बारे में बैंक को लिखित रूप में अवश्य सूचित करना चाहिए। पुलिस शिकायत/एफआईआर की एक प्रति बैंक को दिए गए नोटिस के साथ अवश्य संलग्न होनी चाहिए।

ख) बैंक को दिए गए नोटिस/सूचना के पहले क्रेडिट कार्ड के अनधिकृत इस्तेमाल से उत्पन्न कार्डमेम्बर की देयता बैंक को दिए गए नोटिस/सूचना तक उगत सभी चार्जज के संदर्भ में होगी और यह देयता बैंक द्वारा नोटिस प्राप्त होने का बाद ही "शून्य" होगी।

ग) अहस्ताक्षरित क्रेडिट कार्ड की दशा में कार्डमेम्बर उस पर उपगत सभी चार्जज के लिए जिम्मेदार होगा।

घ) कार्डमेम्बर क्रेडिट कार्ड की सिक्यूरिटी के लिए जिम्मेदार होगा और उसके सुरक्षित रूप से रखे जाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगा और बैंक क्रेडिट कार्ड के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा।

ड) कार्डमेम्बर किसी भी विवादित अंतरण की कोई जांच-पड़ताल होने की दशा में बैंक, बैंक और/या कानूनी प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

च) कार्डमेम्बर द्वारा बाद में क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लेने की दशा में क्रेडिट कार्ड (चोरी की सूचना दिए जाने के बाद), बाद में प्राप्त किए हुए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उसे आधे-आधे हिस्से में काट कर बैंक को तत्काल लौटा दिया जाना चाहिए।

8. प्रकटन

क) कार्डमेम्बर एतद्वारा बैंक को सुस्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं कि वह (बैंक) क्रेडिट सत्यापन या संदर्भ जांच या अपने हितों की सुरक्षा करने के प्रयोजनार्थ इस एग्रीमेंट और/या किसी अन्य एग्रीमेंट्स के सहित कार्डमेम्बर से संबंधित सभी/किसी जानकारी या दस्तावेजों का प्रकटन कर सकता है। या भारतीय रिज़र्व बैंक, आयकर प्राधिकारियों, अधिकरणों, न्यायालयों, न्यायिक निकायों, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य थर्ड पार्टी के साथ कार्डमेम्बर द्वारा किए गए डिफॉल्ट का प्रकटन, मानदण्डों, समय-समय पर यथाअनुप्रयोज्य, के अनुरूप प्रकटन कर सकता है।

ख) कार्डमेम्बर एतद्वारा इस बात से सहमत है कि कार्डमेम्बर द्वारा सुपष्ट सहमति दिए जाने की दशा में ही कार्डमेम्बर द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी या अन्यथा बैंक द्वारा कार्ड संबंधी ऑफ़र्स, जिसमें बैलेंस ट्रांसफर, ईएमआई ऑफ़र्स, कैश संबंधी ऑफ़र्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स शामिल तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, की बिक्री करने के लिए मार्केटिंग प्रयोजनों के हेतु आगे समय-समय पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है। आगे बैंक अपने अन्य प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए प्रकटन मानदण्डों, जैसाकि समय-समय पर लागू हो, के अनुरूप इस जानकारी का समय-समय पर इस्तेमाल कर सकता है।

ग) बैंक कार्डमेम्बर द्वारा प्रदान की गई जानकारी का टेलीमार्केटिंग चैनल्स कॉल्स या डायरेक्ट मेल या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे गए कम्युनिकेशन के किसी अय चैनल के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्डमेम्बर(र्स) को कोई असुविधा न हो, बैंक “डु नॉट कॉल” रजिस्टर बनाए रखेगा और अगर कार्डमेम्बर(र्स) मार्केटिंग ऑफ़र्स के लिए कॉल नहीं सुनना चाहेंगे तो वे फ़ोन द्वारा 24 आवर्स बैंक को सूचित कर सकते हैं या अपने उक्त कांटैक्ट नम्बर्स की वैसे रजिस्टर में लिस्टिंग करवाने के लिए in.cardservices@rbs.com पर ई-मेल कर सकते हैं। कार्डमेम्बर(र्स) अपने संबंधित कांटैक्ट विवरणों के अपवर्जन के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं।

घ) यदि कार्डधारक का क्रेडिट कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता या 90 दिन से ज्यादा तक इस्तेमाल नहीं होता तो उस पर दिए जाने वाले फ़ायदे वापिस लिए जा सकते हैं।

ड) अगर बैंक को कोई प्रतिकूल रिपोर्ट्स (कार्डमेम्बर(र्स) की क्रेडिट क्षमता या उससे जुड़ा कुछ भी) मिलती है तो बैंक क्रेडिट कार्ड कैंसल कर सकता है जिसमें सम्पूर्ण बकाया बैलेंस के साथ-साथ आगे कोई अन्य चार्ज/शुल्क, जो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से उत्पन्न हुआ हो, और स्टेटमेंट में जिसकी बिलिंग न की गई हो, तत्काल उक्त कार्डमेम्बर(र्स) द्वारा देय हो जाएंगे। बैंक उस बैंक, संस्थान या निकाय का नाम प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है जहां से उसे उक्त कार्डमेम्बर(र्स) के बारे में प्रतिकूल जानकारी प्राप्त हुई हो।

च) कार्डमेम्बर(र्स) यह अभिस्वीकृत करते हैं कि बैंक बिज़नेस परिपाटी एवं लागू प्रावधानों के अनुसार कार्डमेम्बर की जानकारी किसी भी मौजूदा या भावी क्रेडिट ब्यूरो, जिसका निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाएगा, से बांट सकता है, उक्त जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. (CIBIL), जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के कामकाज एवं स्थिरता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पहल है, और ऐसे ही अन्य निकायों के साथ बांटी जा सकती है।

छ) उस दशा में जब कोई रिपोर्टेड कार्डमेम्बर बाद में बैंक की सभी प्राय धनराशि का बैंक की संतुष्टि के अनुरूप निपटारा और भुगतान कर दे तो बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास करेगा कि उक्त कार्डमेम्बर के नाम और विवरण बैंक के रिपोर्टेड लिस्ट से मिटा दिए जाए और/या हटा दिए जाएं।

ज) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि., (CIBIL) भारतीय वित्तीय प्रणाली के कामकाज एवं स्थिरता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई एक पहल है। य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के अनुरूप है। इस तरह, इससे कस्टमर्स विभिन्न संस्थानों से बेहतर क्रेडिट शर्तों का फ़ायदा उठाने में सक्षम हो पाएंगे।

झ) इस पहल में भाग ले रहे सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए CIBIL के साथ कस्टमर डाटा बांटना अपेक्षित है। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर बैंक कार्डमेम्बर(र्स) के एकाउंट से संबंधित आंकड़े CIBIL को सौंपेंगे।

ञ) कार्डधारक बैंक को उससे संबंधित कोई भी सूचना थर्ड पार्टियों को बांटने के लिए अधिकृत करता है ताकि बैंक उन बनीफिट्स या प्रोग्रामों के संचालन, सर्विस और देखरेख करने में सक्षम हो सके जिसके लिए कार्डमेम्बर को नामांकित किया गया है।

सेक्शन 2 – अतिरिक्त नियम एवं शर्तें

1. परिभाषाएं

- 1.1 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड बैंक क्रेडिट कार्ड या आरबीएस क्रेडिट कार्ड, या क्रेडिट कार्ड या कार्ड नम्बर का मतलब द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे वैध क्रेडिट कार्ड (को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के सहित) से होगा जो कार्डमेम्बर को पूर्व-निर्धारित क्रेडिट लिमिट के साथ कार्ड एकाउंट का इस्तेमाल करने का हक़दार बनाता है।
- 1.2 अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड या ऐन-ऑन क्रेडिट कार्ड का मतलब प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर अतिरिक्त कार्डमेम्बर को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से है।

- 1.3 अतिरिक्त कार्डमेम्बर का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का निवासी है और प्राथमिक कार्डमेम्बर के आसन्न परिवार का सदस्य है यानि पति / पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता और बच्चे और जिसकी आयु 15 वर्षों से अधिक है और जिसे प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और जिसके चार्जज प्राथमिक कार्डमेम्बर के कार्ड एकाउंट पर प्रभार्य हैं।
- 1.4 बैंक, हम, हमारा या सदृश सर्वनामों से मतलब द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी. उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, प्रशासकों, परिसमापकों, नामितियों आदि, जैसा भी मामला हो, से होगा।
- 1.5 बिलिंग साइकल से मतलब दो क्रमिक बिलिंग स्टेटमेंट्स के तैयार करने के बीच की अवधि से है।
- 1.6 कार्डमेम्बर, प्राथमिक कार्डमेम्बर, मेम्बर कस्टमर, तुम, तुम्हारा, उसे, वह, उसका, या सदृश सर्वनाम का मतलब ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके नाम में कार्ड जारी किया गया है और कार्ड एकाउंट बनाए रखा गया है।
- 1.7 कार्ड एकाउंट या एकाउंट से मतलब इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत प्राथमिक कार्डमेम्बर के नाम में बैंक द्वारा बनाए रखे गए खाते से होगा।
- 1.8 कार्ड नम्बर का मतलब आपके कार्ड के बाहरी हिस्से पर उत्कीर्ण सोलह अंकों की अनन्य संख्या से होगा (इसमें अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड, यदि कोई हो, का कार्ड नम्बर भी शामिल है)।
- 1.9 को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का मतलब बैंक द्वारा किसी अन्य संगठन के सहयोग से जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे संगठन सम्मिलित हैं जो वाणिज्यिक/बिज़नेस ऑपरेशन(नों)में लिस हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं।
- 1.10 क्रेडिट लिमिट का मतलब उस अधिकतम क्रेडिट से है जिसका बैंक के यहां मौजूद सभी कार्ड एकाउंट में किसी भी समय-बिंदु में उपयोग किया जा सकता है।
- 1.11 चार्जज का मतलब इस एग्रीमेंट के अंतर्गत कार्ड एकाउंट में किए गए या प्रभारित किए गए अंतरणों से है, चाहे कार्डमेम्बर चार्ज स्लिप/फॉर्म के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर द्वारा एकाउंट से बनाए गए ड्राफ्ट्स, ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क, फायनांस चार्जज, ओवरलिमिट शुल्क, विलंबित भुगतान शुल्क, अंतरण चार्जज, सर्विस चार्जज, सर्विस टैक्स और की भी अन्य शुल्क/चार्जज धनराशि शामिल हैं जिसका भुगतान करने पर कार्ड मेम्बर सहमत हुआ है या इस एग्रीमेंट के अंतर्गत बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- 1.12 कैश लिमिट से मतलब कैश या कैश समतुल्य की उस धनराशि से है जिसका कार्ड मेम्बर को बैंक में मौजूद सभी कार्ड एकाउंट्स में नॉन-परचेज अंतरण के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।

- 1.13 CVC2 का मतलब सिग्नेचर पैनल (मैग्नेटिक स्ट्राइप के नीचे) पर कार्डमेम्बर के क्रेडिट कार्ड के पिछले भाग पर अंतिम तीन (3) अंकों की संख्या से होगी. CVC2 एक सुरक्षापरक विशेषता है जिसका इंटरनेट अंतरणों के लिए पहचान करने के प्रयोजनार्थ या कार्डमेम्बर की फ़ोन पर पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाना होता है। CVC2 संख्या किसी थर्ड पार्टी को बताने के समय कार्ड मेम्बर्स द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि CVC2 का कपटपूर्ण अंतरणों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। थर्ड पार्टी में अनजान व्यक्ति, ग्रुप या इंटरनेट पते शामिल तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं।
- 1.14 इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का मतलब ऐसे किसी ब्रांच टेलर टर्मिनल, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स (ATM), प्वाइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल्स, EDC (इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर मशीन या ऐसे किसी अन्य साधन से है। जिसमें क्रेडिट कार्ड और/या पिन (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नम्बर) का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है जैसाकि इन नियमों एवं शर्तों में वर्णित किया गया है।
- 1.15 इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीयरिंग सर्विस (डेबिट क्लीयरिंग या ईसीएस) का मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित उस डेबिट क्लीयरिंग सर्विस से होगा जिस पर कार्डमेम्बर कार्ड एकाउंट की बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए लिखित रूप से सहमत हुआ है।
- 1.16 फायनांस चार्जेज का मतलब कार्ड एकाउंट पर की कुल बकाया राशि पर प्रभारित ब्याज से होगा जैसाकि इन नियम एवं शर्तों में दिया गया है।
- 1.17 मर्चेंट प्रतिष्ठान का मतलब ऐसी किसी कम्पनी, निगम, प्रतिष्ठान, फर्म, एसोशिएसन, व्यक्ति या ऐसे किसी संगठन से है जिसकी घोषणा बैंक द्वारा समय-समय पर की गई है, चाहे वह जहां कहीं भी अवस्थित हो और जिसे मास्टर कार्ड मर्चेंट के तौर पर नामोद्धिष्ट किया गया है और/या जिसके साथ किसी मास्टर कार्ड मेम्बर बैंक का कार्डमेम्बर के लिए कार्ड या कार्ड नम्बर का इस्तेमाल करते हुए सामान, सेवाएं या कैश एडवांस प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था विद्यमान है।
- 1.18 न्यूनतम देय धनराशि का मतलब कार्ड एकाउंट में कुल बकाया शेष के ऐसे प्रतिशत से होगा जिसका निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाए और जिसका कार्डमेम्बर द्वारा प्रत्येक बिलिंग साइकल में भुगतान किया जाना और बैलेंस धनराशि अगले बिलिंग साइकल में भुगतान के लिए ले जाना अपेक्षित हो। इस प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डमेम्बर को कम से कम प्रत्येक बिलिंग साइकल के लिए न्यूनतम देय धनराशि के तौर पर निर्दिष्ट धनराशि का अवश्य भुगतान करना चाहिए और आगे ले जाई गई बैलेंस धनराशि पर फायनांस चार्जेज लगेंगे और उसका कार्डमेम्बर द्वारा भुगतान किया जाना होगा।

- 1.19 परचेज का मतलब कार्ड या कार्ड नम्बर का इस्तेमाल करके कार्डमेम्बर द्वारा सामानों एवं सेवाओं की खरीद करना होगा।
- 1.20 खरीद की तराखी वही मानी जाएगी जिस दिन खरीद को कार्ड अकाउंट में डाला जाएगा न कि वह तारीख जब ग्राहक वास्तव में लेनदेन करता है. सभी चार्ज और रिवाइड प्रविष्टि तारीख से लगाये जाएंगे।
- 1.21 भुगतान देय तिथि का अर्थ वह तारीख होगी जिस दिन या जिस तारीख के पहले कार्डमेम्बर को बैंक को भुगतान करना है।
- 1.22 स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का मतलब बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे क्रेडिट कार्ड से होगा जो कार्डमेम्बर के लिए विनिर्दिष्ट प्वाइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल्स पर सामानों एवं सेवाओं की खरीद करने पर अर्जित और संचित लॉयल्टी प्वाइंट्स को विनिर्दिष्ट प्वाइंट्स ऑफ़ सेल टर्मिनल्स पर देखना एवं भुनाना सुलभ बनाएगा।
- 1.23 कुल बकाया या कुल देय धनराशि का मतलब बैंक को देय कार्ड एकाउंट के कुल बकाया से होगा जिसमें वे चार्जेज, शुल्क और कोई अन्य धनराशि शामिल तो होगी जो बैंक द्वारा एक बिलिंग साइकल में प्रभारित की जाती है लेकिन ये इन तक सीमित नहीं होगी. इसमें निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डमेम्बर द्वारा बिलिंग साइकल के प्रत्येक चरण में कुल बकाए का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है लेकिन, वह कार्डमेम्बर कुल बकाए से अपेक्षाकृत कम धनराशि से कभी भी कम नहीं होगी।
- 1.24 अस्थायी क्रेडिट लिमिट बढ़ोतरी का मतलब होगा, कार्डमेम्बर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए क्रेडिट लिमिट में बढ़ोतरी के लिए अनुरोध करना। ऐसी बढ़ोतरी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए की जाती है और समयावधि के अंत में वापस ले ली जाती है।
- 1.25 वैध कार्ड का मतलब ऐसे क्रेडिट कार्ड से होगा जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है और जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुई है या बैंक या कार्डमेम्बर द्वारा निरस्त नहीं की गई है।

2. आरबीएस क्रेडिट कार्ड

- 2.1 आप इसमें निहित और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अंतर्गत बैंक द्वारा यथासंशोधित नियम एवं शर्तों या किसी सांविधिक निकाय या बैंक की नीति में समय-समय पर होने वाले बदलावों की वजह से परिवर्तित नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने पर सहमत हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्ड को केवल तभी महत्व दिया जाएगा जब आपके द्वारा वैध कार्ड के रिवर्स पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों और आपके द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान को पेश किया गया हो।
- 2.2 कार्ड बैंक की सम्पत्ति है और इसे मांगने पर बैंक को तत्काल प्रस्तुत या सरेंडर करना चाहिए।

- 2.3 कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है और आपको इसे हर समय अपने निजी कंट्रोल में रखकर इसके संभावित दुरुपयोग से इसे बचाना चाहिए।
- 2.4 (i) भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड का विदेशी मुद्रा में इस्तेमाल करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के नियम लागू होंगे। लेकिन, कार्ड लॉटरी टिकटों जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं, प्रतिबंधित अथवा निर्धारित पत्रिकाओं को खरीद, स्वीपस्टेक्स (शर्त, सट्टे) वगैरह में हिस्सा लेने, कॉल बैंक सेवाओं के भुगतान आदि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) हालांकि, आप नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
- 2.5 प्राथमिक कार्डमेम्बर और/या अतिरिक्त कार्डमेम्बर(र्स), द्वारा कार्ड प्राप्त होने, और/या कार्ड के रिवर्स पर हस्ताक्षर करने, और/या कार्ड पर चार्ज उपगत करने पर द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड के कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के नियम एवं शर्तों, बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर समय-समय पर यथासंशोधित, को मान लिया समझा जाएगा।

3. कार्ड वैधता, समाप्ति और नवीकरण

1 जुलाई, 2011 तक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना अनुरोधों के लिए पैन विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर आपके पैन विवरण को कार्ड्स की समाप्ति के पहले हमारे यहाँ अध्ययन नहीं किया जाना है तो उसका नवीकरण नहीं किया जाएगा पैन के न मिलने पर ऐसे सभी कार्ड्स, कार्ड्स की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर बंद कर दिए जाएंगे।

- 3.1 आपका कार्ड, कार्ड के फेस पर निर्दिष्ट वर्ष के कैलेन्डर माह के अंतिम दिन तक के लिए तब तक वैध है जबकि बैंक द्वारा कार्ड पहले रद्द न कर दिया गया हो। अगर आप कार्ड की वैधता अवधि के बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो बैंक ऐसे किसी भी परिणाम के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा जो इस प्रकार के इस्तेमाल से उत्पन्न हो सकता है।
- 3.2 समय बीतने या समय-पूर्व रद्द होने पर आपका कार्ड बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर नवीकृत या बहाल किया जा सकता है। समय बीतने पर कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप के आर-पार आधे-आधे टुकड़ों में काट करके नष्ट कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ, कृपया क्रेडिट कार्ड पर के चिप (यदि कोई हो) को भी दो टुकड़ों में काट कर नष्ट कर देना चाहिए।

- 3.3 जब तक कि आप यहां नीचे उल्लिखित एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं करते हैं या अन्यथा, बैंक कार्ड की वैधता का अपने आप नवीकरण कर देगा और कार्डमेम्बर को उसके द्वारा इस समय प्रयुक्त कार्ड का समय बीतने से पहले एक नया कार्ड भेज देगा। नवीकृत कार्ड के न मिलने की दशा में आप बैंक के नामोद्दिष्ट कस्टमर सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या आपको समय-समय पर अधिसूचित पते पर बैंक को लिख सकते हैं।
- 3.4 अगर आप कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में प्रयुक्त कार्ड की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले बैंक को सूचित करना चाहिए। कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड के निरस्तीकरण की ऐसी सूचना न देने पर नवीनीकरण शुल्क (नवीनीकरण के समय यथा-अनुप्रयोज्य) आपके कार्ड एकाउंट पर प्रभारित किया जाएगा और अप्रतिदेय होगा।

4. अतिरिक्त कार्ड

- 4.1 एक कार्ड एकाउंट में एक से अधिक अतिरिक्त कार्ड्स हो सकते हैं, जिसकी संख्या का निर्धारण बैंक अपने विवेकाधिकार से करेगा। अतिरिक्त कार्डमेम्बर 15 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय निवासी होना चाहिए और प्राथमिक कार्डमेम्बर से उसका रिश्ता माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे या भाई या बहन का होना चाहिए।
- 4.2 आपका अनुरोध/प्राधिकार मिलने पर बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से अतिरिक्त कार्डमेम्बर को अतिरिक्त कार्ड जारी कर सकता है।
- 4.3 आप अतिरिक्त कार्ड पर उपगत सभी अंतरणों एवं चार्ज के लिए पूरी तरह उत्तरदायी एवं देनदार होंगे जिसे भुगतान के लिए आपके एकाउंट स्टेटमेंट में शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त कार्डमेम्बर के साथ-साथ कार्डमेम्बर सभी चार्ज के लिए उस परिस्थिति में भी बैंक के प्रति संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग रूप में उत्तरदायी होंगे जब मासिक एकाउंट स्टेटमेंट केवल आपको भेजा गया हो। ये नियम एवं शर्तें अतिरिक्त कार्डमेम्बर्स पर भी बाध्यकारी होंगे।
- 4.4 आप बैंक से अनुरोध करके और बैंक को आधे-आधे हिस्सों में कटे हुए अतिरिक्त कार्ड लौटा के अतिरिक्त कार्ड की सुविधा वापस ले सकते हैं। उसके प्राप्त होने पर बैंक अतिरिक्त कार्ड रद्द कर देगा। अतिरिक्त कार्ड पर उपगत ऐसे सभी अंतरण आपके लिए वैध एवं बाध्यकारी होंगे जिनकी बिलिंग कैंसल किए गए अतिरिक्त कार्ड के मिलने से पहले न की गई हो।
- 4.5 अतिरिक्त कार्ड सुविधा एवं प्रिविलिजेज तब अपने आप वापस ले लिए जाएंगे जब प्राथमिक कार्ड एकाउंट किसी भी कारण से समाप्त किया जाए।

5. कार्ड का इस्तेमाल करना

- 5.1 क्रेडिट कार्ड से मिलने पर आपको क्रेडिट कार्ड के रिवर्स पर सिग्नेचर पैनल पर तत्काल हस्ताक्षर करने चाहिए।
- 5.2 कार्ड का केवल सामानों और/या सेवाओं के वास्तविक निजी या सरकारी परचेज के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। आप क्रेडिट कार्ड का कोई वित्तीय मुनाफा कमाने हेतु कमर्शियल या बिजनेस प्रयोजन के लिए किसी भी वस्तु की रिसेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
- 5.3 आपको चार्ज उपगत करते समय चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप, या मेल ऑर्डर कूपन पर अवश्य हस्ताक्षर करना और/या कलेक्ट करना चाहिए। चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर न करने से आप चार्ज की देयता से मुक्त नहीं हो जाएंगे। आपको चार्ज स्लिप्स की अपनी प्रति कम से कम छः महीनों तक अपने पास रखनी चाहिए। आपके अनुरोध करने पर बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से चार्ज स्लिप्स की प्रतियां उपलब्ध करा सकता है बशर्ते कि विद्यमान दर पर अतिरिक्त चार्ज का भुगतान कर दिया जाए।
- 5.4 बैंक किसी भी समय पूर्व नोटिस दिए बगैर या कोई भी कारण बताए बगैर व्यापारिक प्रतिष्ठान पर चार्ज का प्राधिकार देने से मना कर सकता है और/या कार्ड का इस्तेमाल करने की कार्डमेम्बर की क्षमता सीमित या स्थागित कर सकता है और/या कार्ड निलंबित या कैंसल कर सकता है। बैंक उस परिस्थिति में एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान के जरिए या अपने आप क्रेडिट कार्ड पर फिर से कब्जा/को अपने पास रख सकता है/क्रेडिट कार्ड बकाए की अंशतः या पूर्णतः तत्काल भुगतान करने की मांग कर सकता है जब उसे यह समुचित रूप से विश्वास हो जाए कि क्रेडिट या बिजनेस रिस्क के उपयुक्त मैनेजमेंट के लिए ऐसा करना आवश्यक हो या अगर कार्ड या कार्ड एकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा हो या दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना हो। आप उपर्युक्त के प्रति बिना किसी विरोध या आपत्ति के सहमत हैं।
- 5.5 भुगतान के लिए कार्ड एकाउंट पर किसी भी अंतरण के लिए बैंक द्वारा प्राप्त कोई भी चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान मांग-पत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि जैसे चार्ज स्लिप या अन्य मांग-पत्र पर दर्ज धनराशि कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड का इस्तेमाल करने से उपगत हुई थी। जहाँ चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं हो यानि मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कामर्स (यानि इंटरनेट) हो औ आपको उस अंतरण पर आपत्ति हो तो आप पहले कार्ड पर के बकाए को क्लीयर करेंगे और संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान से विवाद का प्रत्यक्ष तौर पर निपटारा करेंगे। बैंक उसके लिए किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होगा।
- 5.6 कुछ निश्चित प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज की खरीद पर बैंक द्वारा यथाअधिसूचित सरचार्ज लगाया जाएगा। सरचार्ज का भुगतान अनिवार्य है और उसमें समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। पेट्रोल पम्प्स के अंतरणों पर अंतरण धनराशि के 2.5 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा जो न्यूनतम 10/-रु की

शर्त के अधीन होगा। रेलवे टिकट खरीदने/रद्द करने पर, आईआरसीटीसी सेवा शुल्क + लेनदेन राशि का 1.8 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा।

- 5.7 एकाउंट का मासिक स्टेटमेंट आपके द्वारा उपगत चार्जेज का प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा। अगर आप स्टेटमेंट में निर्दिष्ट चार्ज से असहमत होते हैं तो उसके बारे में स्टेटमेंट तारीख के 60 (माह) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर एकाउंट स्टेटमेंट में दर्ज चार्जेज, बैंक को भुगतान करने की आपकी देयता का निर्णायक प्रमाण बन जाएंगे।
- 5.8 अगर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्ड स्वीकृत करने से मना कर देता है या कार्ड पर सरचार्ज लगाता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। हालांकि, कार्डमेम्बर को कार्ड स्वीकृत करने की वैसी मनाही या मर्चेन्ट प्रतिष्ठान द्वारा सरचार्ज लगाए जाने के बारे में बैंक की अधिसूचित कर देना चाहिए। यह शिकायत बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पते पर या नामोद्दिष्ट कस्टमर सर्विस सेंटर पर की जाना चाहिए।
- 5.9 बैंक मर्चेन्डाइज, कीमत, दर, क्वालिटी, मात्रा, वॉरंटी, प्रिविलिजेज, बेनीफिट्स और सुविधाओं जिसमें सेवाओं में खामी/विलम्ब, डिलीवरी या नॉन-डिलीवरी, जो या तो आपके द्वारा मर्चेन्ट प्रतिष्ठान से और/या थर्ड पार्टी सप्लायर्स, जिसमें आपके द्वारा दिया गया कोई मेल ऑर्डर भी शामिल है, खरीदी हुई या प्राप्त की हुई हो, सम्मिलित तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा और/या कोई देयता नहीं होगी। उससे संबंधित उत्पन्न कोई भी विवाद आपके द्वारा सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान/थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ मिलकर निपटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर बैंक के प्रति आपकी बाध्यता से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे।
- 5.10 व्यापारिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध आपके द्वारा किया कोई भी दावा बैंक के प्रिंत सेट ऑफ़ या प्रतिदावे का विषय नहीं बनेगा।
- 5.11 बैंक द्वारा कार्ड अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर बिना कोई कारण बताए निलंबित/वापस लिया जा सकता है और इसके लिए बैंक किसी भी तरीके से कार्डमेम्बर के प्रिंत जवाबदेह नहीं होगा। कार्ड और इस कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप इससे संबंधित प्रिविलिजेज, बेनीफिट्स और सुविधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
- 5.12 आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डमेम्बर द्वारा उस परिस्थिति में भी कोई/सभी सामानों/सेवाओं, जिसमें हवाई/रेल टिकट्स तो शामिल हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, की खरीद के लिए फायनांस या शुल्क चार्जेज से बचने के लिए स्टेटमेंट में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार भुगतान करेगा जबकि खरीद बाद में कैंसल कर दिया गया हो। कैंसलेशन की वजह से हुए रिफंड का कार्ड एकाउंट में केवल तभी क्रेडिट (कैंसलेशन

चार्जज घटाकर) किया जाएगा जब बैंक को ऐसे कैंसलेशन की सूचना प्राप्त होगी। आपको कोई भी कैश रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपके एकाउंट स्टेटमेंट में समुचित समय-सीमा के भीतर क्रेडिट नहीं दर्शाया जाता है तो आपको बैंक को तत्काल अधिसूचित करना चाहिए।

- 5.13 कार्डमेम्बर कानूनों, नियमों, विनियमों और उस कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के उल्लंघन करके किए गए कार्ड के इस्तेमाल की पूर्ण जिम्वारी लेता है और आगे बैंक को हुई ऐसी कोई हानि, नुकसान, ब्याज, रूपांतरण, जिसमें अन्य वित्तीय चार्जज और आउटगोइंग्स, लागत, और परिणाम शामिल तो हैं लेकिन, ये इन तक सीमित नहीं हैं, की बैंक को भरपाई करने का वचन देता है जो आपके एकाउंट पर और भूल/चूक और/या लापरवाही के आपके कृत्यों की वजह से बैंक को सहना पड़ सकता है।
- 5.14 कार्डमेम्बर बैंक द्वारा आपको प्रदत्त सेवाओं पर अधिरोपित ऐसे सभी सांविधिक ड्यूज/चार्जज/ड्यूटीज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- 5.15 आप सहमत हैं और एतद् द्वारा बैंक को अधिकृत करते हैं कि आपके द्वारा विदेशी मुद्रा में उपगत चार्जज को ऐसी दर पर भारतीय रूपए के समतुल्य में परिवर्तित कर दे जो बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर समय-समय पर निर्धारित करे।
- 5.16 आप इस बात से सहमत हैं कि कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदे गए सामान बैंक की तब तक सम्पत्ति बने रहेंगे जब तक कि उससे संबंधित चार्जज का आपके द्वारा बैंक को पूर्ण भुगतान न कर दिया जाए।

6 कैश एडवांस

- 6.1 आप बैंक के आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम), चुने हुए पार्टनर बैंकों और अन्य लोकेशनों/अनुमति-प्राप्त प्रतिष्ठानों, जो बैंकों द्वारा समय-समय पर अपने एकमात्र विवेकाधिकार से ऑफ़र किए जाएं, से कैश की निकासी करने के लिए और कोई अन्य कैश सदृश अंतरणों, जिसमें बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत्य डिमांड ड्राफ्ट सुविधा शामिल तो है लेकिन यह इस तक सीमित नहीं है, के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे किसी/सभी कैश एडवांस और कैश सदृश अंतरणों के लिए कार्डमेम्बर सभी प्रकार के कानूनों, नियमों एवं विनियमों, जिमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथाविनिर्धारित विदेशी मुद्रा कानून और तदंतर्गत एवं RBI एवं अन्य सरकारी निकायों द्वारा आगे अधिसूचित नियम शामिल तो हैं लेकिन, ये इन तक सीमित नहीं हैं, का अनुपालन करेंगे। आप कैश एडवांस के लिए बैंक द्वारा आपको उपलब्ध कराए गए ATM पिन/कोड का किसी व्यक्ति को प्रकटन नहीं करेंगे। कार्डमेम्बर इस बात की हर संभव सावधानी बरतेंगे कि किसी व्यक्ति को उसका पता नहीं लगे।

- 6.1 आप क्रेडिट कार्ड पर कैश लिमिट धनराशि जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई या बताई गई हो, की सीमा तक कैश एडवांस भी प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि उपलब्ध कैश लिमिट और कैश एडवांस अंतरणों पर लागू नियम एवं शर्तों का अनुपालन होता है।
- 6.3 उससे संबंधित चार्ज, और नियम एवं शर्तें कार्डमेम्बर को लिखित रूप में बताई जाएंगी। ऐसे चार्ज बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर परिवर्तित होने की शर्त के अधीन हैं और निकासी की तिथि से लेकर निपटान की तिथि तक के लिए वसूली जाएंगी।
- 6.4 डिफॉल्ट की घटना होने के तुरंत बाद डिफॉल्ट ब्याज दरें प्रभावी हो जाएंगी। कार्डमेम्बर के मासिक फायनांस चार्ज का निर्धारण करने के लिए विचारणीय कारकों में कार्डमेम्बर का विन्टेज, आपका समग्र क्रेडिट निष्पादन, जिसमें डिफॉल्ट्स, यदि कोई हों, के स्वरूप से सहित कार्डमेम्बर के एकाउंट के उपयोग और निष्पादन के अन्य सूचक शामिल हो सकते हैं।

7. अन्य शुल्क/चार्ज

- 7.1 आप सभी प्रकार के चार्ज (नवीकरण, रिप्लेसमेंट, और डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए), कैश एडवांस पर अंतरण शुल्क, आउटस्टेशन शुल्क के लिए कलेक्शन चार्ज, कानूनी लागत, बैंक द्वारा उपगत और/या प्रभारित कोई अन्य शुल्क/चार्ज शामिल तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

8. सर्विस टैक्स

- 8.1 आप भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाकर, या भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर लागू होने वाले निर्धारित शुल्क, फायनांस चार्ज और अन्य फीस/चार्ज देने के लिए सहमत हैं। सेवाकर आपके मासिक बिल स्टेटमेंट में दर्शाया जाएगा।

9. अलर्ट्स

- 9.1 आप इस बात से सहमत हैं कि बैंक आपको आपके कार्ड एकाउंट की स्थिति के बारे में अवगत कराता रहेगा और आपको एसएमएस और/या ई-मेल या किसी अन्य सम्प्रेषण माध्यम के जरिए संदेश भेजकर समय-समय पर कोई अन्य जानकारी प्रदान करेगा और आपको उसके लिए की आपत्ति नहीं होगी। कार्डमेम्बर द्वारा आगे यह भी सहमति दी जाती है कि बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से उक्त सूचना/अलर्ट सेवाओं के लिए शुल्क/चार्ज लेने का निर्णय ले सकता है और आपको उस पर की भी आपत्ति नहीं होगी।

उपलब्धता

- 1.1 SMS सुविधा वर्तमान में केवल ऐसे निवासी भारतीय क्रेडिट कार्डहोल्डरों के लिए उपलब्ध है जिनका भारत की RBS शाखाओं में खाता है।
- 1.2 SMS सुविधा कुछ निश्चित सेल्यूलर सर्विस प्रदाताओं ("CSP") के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और इसलिए, ऐसे रीजनों में उपलब्ध है जहां CSP सेवाएं प्रदान करते हैं और भारत में CSP की सेवाओं को सब्सक्राइबर कहते हैं।
- 1.3 क्रेडिट कार्डहोल्डर को केवल तभी अलर्ट्स भेजे जाएंगे जब क्रेडिट कार्डहोल्डर CSP के सेल्यूलर सर्किलों या ऐसे CSP को रोमिंग नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले सर्किलों के भीतर हों।
- 1.4 RBS यदि संभव हुआ, तो कवरेज बढ़ाने के लिए और अधिक सेल्यूलर सर्विस प्रदाताओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर सकता है।
- 1.5 "उपर्युक्त शर्तें उन सभी प्रोग्रामों के लिए वैध होंगी जिनके अंतर्गत RBS एसएमएस सुविधा का इस्तेमाल करके सूचना भेजता है।"

"यह MITC दिन-महीने-वर्ष (प्रिंटिंग की तिथि) के रूप में वैध है। अद्यतन किए गए रूप के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें।"

10. लॉयल्टी प्रोग्राम एवं अन्य प्रोग्राम्स

- 10.1 क्रेडिट कार्ड/को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ("प्रोग्राम") के साथ पेश किया गया द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी. (आरबीएस) कार्ड रिवाइर्स प्रोग्राम या ऐसे अन्य लॉयल्टी प्रोग्राम पात्र द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कार्डमेम्बर्स ("कार्डमेम्बर (र्स) " को सम-समय पर अपने क्रेडिट कार्ड्स से खर्च करने के एवज में प्वाइंट्स ("प्वाइंट्स") संचित करने की अनुमति देते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड्स पर संचित प्वाइंट्स के बदले में द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड या वह संगठन, जिसके साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, द्वारा ऑफ़र किए गए भिन्न-भिन्न प्रकार के रिवाइर्स प्राप्त किए जा सकते हैं।
- 10.2 यह प्रोग्राम वैध कार्ड का धारण करने वाले कार्डमेम्बर के लिए ओपन है. अतिरिक्त कार्डमेम्बर द्वारा अर्जित प्वाइंट्स प्राथमिक कार्डमेम्बर के एकाउंट में जमा होंगे।
- 10.3 प्रोग्राम में भाग लेना स्वैच्छिक है। कार्डमेम्बर बैंक की सूचना भेजकर प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। कार्डमेम्बर अपने द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कार्ड का इस्तेमाल ठीक उसी तरह जारी रख सकते हैं जैसाकि वे सामान्य तौर पर करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपेक्षित वार्षिक शुल्क का द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड/उस कमर्शियल या बिज़नेस संगठन द्वारा निर्धारण किया जाएगा जिसके साथ मिलकर को-

ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समय-समय पर जारी किया गया है। पंजीकरण तिथि मौजूदा कार्डमेम्बर्स के लिए प्रोग्राम का शुभारम्भ करने की तिथि और नए कार्डमेम्बर्स के लिए वह तिथि होगी जिस दिन द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा कार्ड एकाउंट सेट अप किया गया हो। पंजीकरण वर्ष का मतलब पंजीकरण तिथि से प्रारंभ होने वाली “बारह महीने की कोई भी अवधि” होगी।

10.4 प्वाइंट्स मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे चुनिंदा मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों में उपलब्ध स्मार्ट कार्ड रीडर (केवल स्मार्ट कार्ड्स के लिए लागू) के जरिए भी सत्यापित किया जा सकता है। प्वाइंट्स मासिक बिलिंग स्टेटमेंट “रिवार्ड प्वाइंट्स सार” के तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

- ओपनिंग प्वाइंट्स
- अर्जित प्वाइंट्स
- समायोजित प्वाइंट्स
- भुनाए गए प्वाइंट्स
- क्लोजिंग प्वाइंट्स

10.5 प्रोग्राम के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड में प्रभारित सभी खर्च प्वाइंट्स अर्जित करने के पात्र होंगे। ऐसे खर्च सके अपवाद होंगे जो द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा समय-समय पर अवपर्जित किए गए हों। वे खर्च जो इस समय प्वाइंट्स अर्जित करने के पात्र हैं, निम्नलिखित हैं। इसमें ये सम्मिलित तो हैं लेकिन, इन तक सीमित नहीं हैं-

- बैलेंस ट्रांसफर्स
- कैश एडवांस
- फायनेंशियल चार्जेज (यानि विलंबित भुगतान शुल्क, डिस्ऑनर्ड चैक चार्जेज, सर्विस शुल्क, अंतरण चार्जेज)
- विवादित अंतरण
- पेट्रोल पम्प्स/सर्विस स्टेशनों पर की गई कोई खरीद
- प्रोग्राम के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान

10.6 कार्डमेम्बर अपनी पंजीकरण की तिथि से पहले उपगत कोई चार्ज (चार्जेज) के लिए प्वाइंट्स अर्जित नहीं करेगा।

- 10.7 कार्डमेम्बर द्वारा क्रेडिट कार्ड पर संचित प्वाइंट्स, भुनाए जाने के समय उसके अन्य क्रेडिट कार्ड्स के प्वाइंट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते हैं, या किसी अन्य कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम में अंतरित नहीं किए जा सकते हैं बशर्ते कि द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा विशेष रूप से अन्यथा न अधिसूचित किया गया हो।
- 10.8 प्रोद्भूत प्वाइंट्स का कैश और/या कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है बशर्ते कि बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर चुने हुए कुछेक क्रेडिट कार्ड्स/उनके संबंधित कार्डमेम्बर्स को विनिर्दिष्ट व्यय होने और तत्संबंधी प्रोद्भूत प्वाइंट्स पर उक्त कैश/मौद्रिक मूल्य की पेशकश न करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर केवल अपने स्मार्ट गोल्ड और स्मार्ट माइल्स टाइटेनियम कार्डमेम्बर्स द्वारा विगत 60 दिनों में उपगत ट्रैवल संबंधी व्यय के लिए नकद रूप में भुनाए जाने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा विकल्प है जो बैंक बिना किसी नोटिस और बाध्यता के देने/समाप्त करने का निर्णय ले सकता है। कृपया ध्यान दें : निवास के शहर के होटल में किया गया खर्च, एक यात्रा से संबंधित खर्च के रूप में योग्य नहीं।
- 10.9 अगर कोई क्रेडिट्स (जिनमें रिटर्न किए गए सामानों या सेवाओं या बिलिंग विवादों, यदि कोई हों, से उत्पन्न क्रेडिट्स शामिल हैं) हुए हों तो समायोजन प्वाइंट्स में किए जाएंगे। अगर विवादित अंतरण का निपटारा कार्डमेम्बर के पक्ष में किया जाता है या जहां अंतरण रिवर्स कर दिया जाता है, वहां समानुपाती प्वाइंट्स रिवर्स कर दिए जाएंगे और कार्डमेम्बर के एकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे (अगर पहले से ही क्रेडिट न किए गए हों तो)। इसी तरह, सामानों या विवादित अंतरण के कार्डमेम्बर के विरुद्ध निपटारा किए जाने की दशा में कार्डमेम्बर के एकाउंट से समानुपाती प्वाइंट्स डेबिट किए/घटाए जाएंगे (अगर पहले ही क्रेडिट कर दिए गए हों तो), भुनाए जाने पर, भुनाए गए प्वाइंट्स कार्ड एकाउंट में संचित प्वाइंट्स से अपने आप घटा दिए जाएंगे।
- 10.10 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भरसक प्रयास करके उक्त मासिक स्टेटमेंट के लिए क्लोजिंग तिथि के तुरंत पहले संचित प्वाइंट्स की संख्या के बारे में एकाउंट स्टेटमेंट में प्राथमिक कार्डमेम्बर को अधिसूचित करेगा।
- 10.11 कार्डमेम्बर द्वारा क्रेडिट कार्ड स्वैच्छिक रूप से बंद किए जाने या किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने की दशा में क्रेडिट कार्ड के निरस्तीकरण के उपरांत कोई बकाया रिवाईड प्वाइंट्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे और जब्त माने जाएंगे अगर क्रेडिट कार्ड किसी भी कारणवश द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा ब्लॉक या निलंबित किया जाता है तो संचित प्वाइंट्स जब्त माने जाएंगे लेकिन, ऐसे प्वाइंट्स द रॉयल

बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड के एकमात्र विवेकाधिकार से उस परिस्थिति में बहाल किए जा सकते हैं जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाना बहार कर दिया गया हो।

- 10.12 कम्प्यूटेशन, समय बीत जाने, रद्दीकरण, जब्ती, क्रेडिट, डेबिट और प्वाइंट्स बहाल किए जाने पर द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड का निर्णय कार्डमेम्बर के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा।
- 10.13 भुनाए जाने के लिए उपलब्ध प्वाइंट्स का मतबल ऐसे प्वाइंट्स से है जो आपके द्वारा रिवॉर्ड कैटेगॉग से या मर्चान्ट प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध रिवॉर्ड सर्टिफिकेट से या ऐसे किसी भी तरीके, जो संबंधित क्रेडिट कार्ड्स के लिए विनिर्दिष्ट हों, जिसमें तत्काल भुनाया जाना, नकद रूप से भुनाया जाना, और गिफ्ट वाउचर्स शामिल तो हों लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, से भुनाए जा सकते हैं।
- 10.14 कार्डमेम्बर इस बात से सहमत हैं कि कार्डमेम्बर को सूचित किए जाने के बाद बैंक कार्डमेम्बर के इसके किसी भी प्रोग्राम(मों) में भाग लेने के लिए धनराशि (इसमें इसके बाद धनराशि के तौर पर संदर्भित) डेबिट कर सकता है। धनराशि के ऐसे डेबिट के बाद अगर कार्डमेम्बर प्रोग्राम में भाग न लेने की अपनी इच्छा के बारे में कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड का उपयोग के संबंध में बैंक द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में बैंक को सूचित करता है तो बैंक द्वारा धनराशि कार्डमेम्बर के एकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से कुछ कार्डमेम्बर्स को स्मार्ट क्रेडिट कार्ड्स जारी कर सकता है। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के सहारे कार्डमेम्बर्स बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनिर्दिष्ट प्वाइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल्स पर सामानों एवं सेवाओं के परचेज पर अर्जित लॉयल्टी प्वाइंट्स संचित कर सकते हैं, देख सकते हैं और भुना सकते हैं। बैंक क्रेडिट कार्ड के चिप/मैग्नेटिक स्ट्रिप पर मेमोरी को मैनेज करने और अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर स्मार्ट क्रेडिट कार्ड पर चुने हुए एप्लीकेशन्स की पेशकश करने का अधिकार सुरक्षित करता है।
- 10.15 कार्डधारक द्वारा प्रत्येक स्टेटमेंट चक्र में अर्जित प्वाइंट भी दर्शाये जाएंगे। इन अर्जित अंकों को इस्तेमाल करने की दर का तरीका बैंक ही तय करेगा। बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के दरों को बदल सकता है।
- 10.16 कार्डमेम्बर चुने हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्वाइंट्स को तत्काल भुना सकते हैं जिनके पत्तों के बारे में बैंक द्वारा कार्डमेम्बर को समय-समय पर सूचित किया जाएगा। कार्डमेम्बर वैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किए गए परचेज के लिए एक्स्ट्रा प्वाइंट्स अर्जित करेंगे।

प्रोग्राम के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित सभी खर्च प्वाइंट्स अर्जित करने के पात्र होंगे. वैसे खर्च इसके अपवाद होंगे जो द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा समय-समय पर अपवर्जित किए जाएंगे. वे खर्च जो प्वाइंट्स अर्जित करने के पात्र नहीं हैं उनमें निम्नलिखित शामिल तो हैं लेकिन, वे इन तक सीमित नहीं हैं

- बैलेंस ट्रांसफर्स
- कैश एडवांस
- फायनेंशियल चार्जेज (यानि विलंबित भुगतान शुल्क, डिस्ऑनर्ड चैक चार्जेज, सर्विस शुल्क, अंतरण चार्जेज)
- विवादित अंतरण
- पेट्रोल पम्प्स/सर्विस स्टेशनों पर की गई कोई खरीद
- प्रोग्राम के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना.
- बीमा कवर(रों) के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करना

10.17 आप इस बात को समझते हैं कि स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के चिप/मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लोडेड एप्लीकेशन्स नॉन-मास्टर कार्ड विशिष्टता एवं नॉन-पेमेंट एप्लीकेशन्स हैं। बैंक इस बात की कोई वॉरंटी नहीं देता है कि चिप/मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लोडेड एप्लीकेशन्स आपकी अपेक्षा पूरी करेंगे. किसी भी परिस्थिति में बैंक चिप/मैग्नेटिक स्ट्रिप के एप्लीकेशन्स के इस्तेमाल या इस्तेमाल न कर पाने से उत्पन्न हुए किसी प्रकार के नुकसान (जिसमें प्रोफिट्स के नुकसान, सूचना गायब हो जाने के नुकसान शामिल तो हैं लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं) के लिए कांटेक्ट, टॉर्ट, लापरवाही या अन्यथा का भागी नहीं होगा। न तो बैंक और न ही मास्टर कार्ड इंटरनेशनल इस बात की वॉरंटी देते हैं कि चिप/मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लोडेड एप्लीकेशन्स आपको निर्बाध या त्रुटिरहित सर्विस प्रदान करेंगे।

10.18 उस परिस्थिति में प्वाइंट्स के संचयन या भुनाए जाने की अनुमति नहीं होगी जब संगत तिथि के दिन कार्ड सुविधा हटा ली गई हो या निरस्त कर दी गई हो या कार्ड एकाउंट ओवरड्यू एकाउंट के तौर पर दर्शाया गया हो.

10.18 उस परिस्थिति में प्वाइंट्स के संचयन या भुनाए जाने की अनुमति नहीं होगी जब संगत तिथि के दिन कार्ड सुविधा हटा ली गई हो या निरस्त कर दी गई हो या कार्ड एकाउंट ओवरड्यू एकाउंट के तौर पर दर्शाया गया हो।

- 10.19 आप दूसरे व्यक्ति को न तो प्वाइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही उसका आपके द्वारा धारित बैंक के किसी अन्य कार्ड के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर कतिपय मामलों में विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्वाइंट्स के ट्रांसफर की अनुमति दे सकता है और उसके बारे में आपको समय-समय पर सूचित कर सकता है।
- 10.20 बैंक के प्वाइंट्स का कम्प्यूटेशन आप के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा और किसी भी कारण से विवाद या प्रश्न उठाए जाने का विषय नहीं होगा।
- 10.21 ऐसे संचित प्वाइंट्स नियम एवं शर्तों के अधीन आगे ले जाए जा सकते हैं जो कार्डमेम्बर द्वारा 12 महीनों के भीतर न भुनाए गए हों। जो प्वाइंट्स समाप्ति अवधि (वर्तमान में 12 महीने) के भीतर इस्तेमाल में नहीं लाए गए हों वे खत्म हो जाएंगे और जब्त माने जाएंगे।
- 10.22 प्वाइंट्स के भुनाए जाने के लिए अनुरोध करने के समय क्रेडिट कार्ड द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा ओवरड्यू, निलंबित, ब्लॉक, निरस्त या टर्मिनेट नहीं किए हुए होने चाहिए।
- 10.23 प्रोद्भूत प्वाइंट्स केवल प्राथमिक कार्डमेम्बर द्वारा ही भुनाए जा सकते हैं न कि अतिरिक्त कार्डमेम्बर द्वारा।
- 10.24 प्वाइंट्स प्रतिभागी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तरह-तरह के रिवाइर्स के लिए भुनाए जा सकते हैं जिसके विवरण प्रोग्राम कैटलॉग में और द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा समय-समय पर जारी अन्य मेलर्स में दिए हुए रहते हैं जैसे मर्चेन्डाइज़, शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रेवल, मनोरंजन, शुल्क माफी, वित्तीय सेवाएं, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड्स
- 10.25 कार्डमेम्बर को रीडिम्प्शन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और उसे उसमें उल्लिखित पते पर भेजना होगा या निकटतम द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कार्ड कस्टमर सर्विस सेंटर में कॉल करना होगा। कार्डमेम्बर(र्स) प्वाइंट्स के भुनाए जाने (रीडिम्प्शन) की स्थिति और विकल्पों को देखने के लिए वेबसाइट WWW.RBS.IN भी देख सकते हैं।
- 10.26 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड रिडीम्शन सर्टिफिकेट्स/वाउचर्स या गिफ्ट्स की डिलीवरी में किसी प्रकार का विलंब होने या गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
- 10.27 भुनाए गए प्वाइंट्स अन्य रिवाइर्स के लिए विनिमय योग्य नहीं हैं, या किसी भी परिस्थिति में कैश या क्रेडिट के लिए प्रतिदेय, अप्रतिस्थांतरणीय या हस्तांतरणीय हैं नहीं और ऐसे भुनाए गए प्वाइंट्स वापस प्वाइंट्स में रि-कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। प्वाइंट्स एक बार दूसरे पार्टनर लॉयल्टी प्रोग्राम, यदि कोई हों, में एक्सचेंज किए जाने के बाद वापस नहीं किए जा सकते।

- 10.28 सभी रिवाइर्स उपलब्धता की शर्त के अधीन हैं और कुछेक प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। रिडीम्पशन प्रक्रिया और प्रत्येक रिवाइर्स के लिए अतिरिक्त नियम एवं शर्तें कार्डमेम्बर को जारी रिडीम्पशन सर्टिफिकेट्स/वाउचर्स में निर्धारित किए जाएंगे।
- 10.29 किसी प्रकार के रिवाइर्स के भुनाए जाने (रिडीम्पशन) के संदर्भ में उपगत कोई अतिरिक्त मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, मकान व्यवस्थाएं, कूरियर या अन्य लागत कार्डमेम्बर का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा।
- 10.30 डाइनिंग, ट्रेवल या होटल के लिए जारी रिडीम्पशन सर्टिफिकेट में रिजर्वेशन शामिल नहीं होता है। कार्डमेम्बर सभी प्रकार के रिजर्वेशन्स और वह जो रिवाइर्स(इर्स) भुनाने जा रहा है उसके बारे में प्रतिभागी व्यापारिक/प्रतिष्ठान(नों) को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी है।
- 10.31 अन्य द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड बेनीफिट्स, जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर एक्टिवेट होते हैं, प्रोग्राम के अंतर्गत रिवाइर्स के तौर पर प्राप्त सामानों या सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं।
- 10.32 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड प्वाइंट से भुनाए गए प्रोडक्ट और/या सेवाओं, जिनमें प्वाइंट्स के गैर-इस्तेमाल या इस्तेमाल से या डाइनिंग, ट्रेवल या होटल एकोमोडेशन के लिए रिडीम्पशन सर्टिफिकेट के उपयोग से या प्वाइंट्स के रिडीम्पशन द्वारा अर्जित किसी प्रोडक्ट/सर्विस के उपयोग, टिकारूपन, मर्चेन्टिलिटी के किसी दोष, खामी या इसके संदर्भ में उत्पन्न किसी प्रकार का दावा शामिल तो है लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं, के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा।
- 10.33 प्रोग्राम में प्वाइंट्स के अर्जन और रिडीम्पशन से संबंधित कपट और/या दुरुपयोगों के परिणामस्वरूप प्वाइंट्स की जव्ती के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड का टर्मिनेशन और कैंसलेशन होगा।
- 10.34 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड या इसके व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा रिवाइर्स के रिडीम्पशन पर कार्डमेम्बर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का कार्डमेम्बर से कोई अनुमति, लिखित या अन्यथा, लिए बगैर प्रशासनिक और/या मार्केटिंग प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 10.35 सरकार, किसी भी अन्य प्राधिकारी, निकाय या किसी अन्य प्रतिभागी व्यापारिक प्रतिष्ठान को देय कोई कर या अन्य देयताएं या चार्ज, जो यथापूर्वोक्त प्वाइंट्स के भुनाए जाने या अन्यथा पर कार्डमेम्बर के लिए उत्पन्न या प्रोद्भूत हो सकते हैं, कार्डमेम्बर की एकमात्र जिम्मेवारी होगी।
- 10.36 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कार्डमेम्बर को कोई जानकारी दिए बगैर रिवाइर्स, रिवाइर्स शर्तों या प्वाइंट्स के कम्प्यूटेशन या प्रोग्राम के नियम एवं शर्तों को किसी भी समय कैंसल करने, बदलने या प्रतिस्थापित करने

का अधिकार सुरक्षित रखता है। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड अर्जित प्वाइंट्स की कोई देयता के बगैर प्रोग्राम को किसी भी समय निलंबित या टर्मिनेट, यदि यह उपयुक्त समझे, कर सकता है।

- 10.37 प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिभागी व्यापारिक प्रतिष्ठानों/को-ब्रांडेड कमर्शियल या बिज़नेस संगठन जो सामान और/या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनके प्रकार, क्वालिटी या फिटनेस के संबंध में द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कोई वारंटियां या रिप्रजेंटेशन्स, या तो सुव्यक्त या विवक्षित, नहीं देता है। मर्चेन्डाइज़, जहां लागू हों, के साथ विनिर्माता की वारंटी सूचना संलग्न होगी और की भी दावा एकमात्र रूप से विनिर्माता या सर्विस प्रोवाइडर या को-ब्रांडेड कमर्शियल या बिज़नेस संगठन को निर्देशित होने चाहिए।
- 10.38 प्रोग्राम के अंतर्गत रिवाइर्स के रूप में प्राप्त सामानों या सेवाओं से संबंधित कोई भी विवाद कार्डमेम्बर और उस प्रतिभागी व्यापारिक प्रतिष्ठान के बीच निपटाए जाएंगे जिसने सामानों या सेवाओं की आपूर्ति की है। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड ऐसे विवादों को निपटाने के लिए या ऐसे विवादों के लिए ही कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा।
- 10.39 प्रत्येक प्रोग्राम पृथक विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों (इसमें इसके बाद प्रोग्राम के नियम एवं शर्तों के तौर पर संदर्भित) के द्वारा विनियंत्रित किए जाएंगे। हालांकि, प्रोग्राम के ऐसे नियम एवं शर्तें किसी भी तरीके से कार्डमेम्बर एग्रीमेंट को संशोधित नहीं करेंगी और उसमें संदर्भित और किंतु अपरिभाषित ऐसी कोई भी शर्त का कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के अनुसार निर्वचन नहीं किया जा सकता है।
- 10.40 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड इस प्रोग्राम के किसी भी मामले और किसी रिवॉर्ड की पूर्ति के संदर्भ में कार्डमेम्बर द्वारा की गई किसी भी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक हिदायत या इन्क्वायरी के प्रत्युत्तर में सद्-भावपूर्वक काम करता है, कार्डमेम्बर द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड द्वारा सद्-भावपूर्वक किए गए ऐसे किसी कार्य के संदर्भ में कोई दावा करने या किसी प्रकार की हानि, क्षति, देयता, खर्च आदि जो प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत आरोप्य हो, का आरोप लगाने का हकदार नहीं होगा और कार्डमेम्बर उसके संबंध में द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड की क्षतिपूर्ति करेगा और उसके संदर्भ में बैंक को पूरी तरह अहानिकर ठहराएगा।
- 10.41 प्रोग्राम के संबंध में कोई भी पूछताछ 24 आवर्स बैंक के फ़ोन नम्बर्स पर या in.cardservices@rbs.com या बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट माध्यम पर की जाना चाहिए।
- 10.42 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड कार्डमेम्बर को जिन शर्तों पर प्रोग्राम में बाग लेने देने के लिए सहमत हुआ है उनकी एक शर्त यह भी है कि वह प्रोग्राम के नियम एवं शर्तों के साथ-साथ इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों की पुष्टि और अभिस्वीकृति करता है।

10.43 पूर्वोक्त के बावजूद बैंक केवल चुने हुए कुछेक कार्डमेम्बर्स को कुछ मूल्यवर्धित प्रोग्राम्स भी प्रदान करता है जिनमें पेमेंट हॉलीडे प्रोग्राम और प्रीमियर क्लब प्रोग्राम शामिल तो हैं लेकिन, ये इन तक सीमित नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम्स विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अधीन हैं और बैंक द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर चुने हुए कस्टमर्स को प्रदान किए जाने वाले मूल्यवर्धित बेनीफिट्स हैं।

11. फ़ोन द्वारा 24 आवर्स बैंक

- 11.1 बैंक जानकारी सुलभ कराने और टेलीफोन पर अनुदेश देकर आपके कार्ड एकाउंट पर अंतरण निष्पादित करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक इसे या तो मैनुअली या एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए स्वीकृत कर सकता है। हालांकि, बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर जानकारी/अंतरण के उस स्वरूप पर निर्णय ले सकता है जो टेलीफोन पर दी/निष्पादित की जा सकती है। बैंक अनुरोध की प्रोसेसिंग करने से पहले कार्डमेम्बर की पहचान के अभिप्रमाणन का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। आपको स सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए एक विनिर्दिष्ट टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (T-PIN) भी दिया जा सकता है।
- 11.2 कार्डमेम्बर इस बात से सहमत है कि आप ऐसे अनुदेशों पर सद्-भावपूर्वक काम करने के संदर्भ में बैंक को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे।
- 11.3 बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर ऐसे अनुदेशों को टेप या रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में ऐसे टेलीफोनिक अनुदेशों के ट्रांसक्रिप्ट्स को प्रमाणस्वरूप पेश कर सकता है।
- 11.4 आपके अनुरोध पर बैंक आपको कार्ड एकाउंट के संबंध में वित्तीय सूचना (आपके द्वारा मांगी गई) फैक्स (आपके द्वारा दिए गए फैक्स नम्बर) पर भेज सकता है। यह वित्तीय सूचना निजी या गोपनीय प्रकृति की हो सकती है और ऐसी किसी सूचना की जानकारी किसी तीसरी पार्टी को होने की स्थिति में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
- 11.5 ऐसे अनुदेशों के अनुसरण में बैंक अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रयास करेगा और बैंक की ओर से आपके किसी या सभी अनुदेशों पर तुरंत कार्यवाही करने में विलंब या असमर्थता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- 11.6 बैंक के पास ऐसे अनुदेशों को पूरा न करने का अधिकार सुरक्षित है जिनके संबंध में बैंक का मानना हो कि अनुदेश प्रामाणिक नहीं हैं या बैंक ऐसी सुविधा को वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है।
- 11.7 किसी मामले में बैंक द्वारा किए गए लेन-देन के ब्यौरे में कोई त्रुटि हो तो आपको उसके बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के अंदर बैंक को सूचित करना होगा।

- 11.8 बैंक द्वारा आपको उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर विचार करते हुए और आपके द्वारा इस सुविधा के प्रयोग के कारण बैंक द्वारा सहे जाने वाले व्यय, भार या इसके परिणामस्वरूप सभी कार्यवाहियों, दावों, कार्यवाहियों, क्षतियों, नुकसानों, लागतों, प्रभारों के प्रति आप बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे और एतद् द्वारा बैंक को क्षतिमुक्त रखेंगे।
- 12 **इंटरनेट बैंकिंग**
- 12.1 आप सहमति जताते हैं कि किसी भी इंटरनेट लेन-देन को करते समय आपके द्वारा विदेशी मुद्रा का व्यय केवल विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1995 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य अनुप्रयोज्य अधिनियमों के सहित उसके अंतर्गत बताए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और समय-समय पर यथा-अनुप्रयोज्य अन्य कानूनों के अनुसार होगा। बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकाउंट सूचना के अनधिकृत और गैर-कानूनी उपयोग से आपको बचाने के लिए आपके द्वारा किए गए कुछ इंटरनेट लेनदेनों को अस्वीकार कर सकता है।
- 12.2 इस सुविधा का प्रयोग करने हेतु आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (पिन) भी दिया जा सकता है। आप उक्त नंबर की सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और इस नंबर को किसी व्यक्ति को नहीं बताएंगे या प्रकट करेंगे।
- 12.3 आप इससे सहमति जताते हैं कि कार्ड/कार्ड नंबर का प्रयोग उन गेमिंग और अश्लील वेबसाइटों के लिए नहीं करेंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया है, ऐसा करने पर आप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12.4 वेबसाइटों में दी गई सूचना परिवर्तनीय है, बैंक की वेबसाइट का अनधिकृत प्रयोग जिसमें बैंक के सिस्टम में प्रवेश करने, पासवर्ड का दुरुपयोग या वेबसाइट पर दी गई किसी सूचना का दुरुपयोग किया जाना शामिल तो हैं लेकिन, ये इन तक सीमित नहीं हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित है। आपके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और तत्समय प्रयोज्य अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- 12.5 आपके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के प्रयोग के कारण बैंक द्वारा सहे जाने वाले व्यय, भार या इसके परिणामस्वरूप सभी कार्यवाहियों, दावों, कार्यवाहियों, क्षतियों, नुकसानों, लागतों, प्रभारों के प्रति आप बैंक की और एतद् द्वारा बैंक को क्षतिमुक्त रखेंगे।
- 12.6 बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रयोक्ता को कारण बताकर या बिना कारण बताय या बिना कोई नोटिस दिए, चाहे कोई भी हो, प्रयोक्ता को दी रही सुविधाएं को समाप्त कर सकता है।

13. बीमा लाभ

13.1 बैंक एकमात्र विवेकाधिकार से कुछ निश्चित कार्डमेम्बर्स को उनके क्रेडिट कार्ड पर प्रदान करता है निम्नलिखित बीमा सुविधाएं।

(क) समूह बीमा – बैंक एक समूह बीमा की खरीद की गई है (वर्तमान में ICIC लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड). बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से कुछ निश्चित कार्ड मेम्बर्स को ऐसी बीमा सुविधा की पेशकश करने का निर्णय ले सकता है। जिन कार्डमेम्बर्स को बैंक ने ऐसी बीमा सुरक्षा (कवर) की पेशकश करने का निर्णय लिया है उनके संबंध में यह कवर केवल एक्टिव कार्डमेम्बर्स को, उनके कार्डमेम्बर बनने के समय से की जाएगी। इसे चालू करने के लिए कार्ड मेम्बर द्वारा क्रेडिट कार्ड के गुम होने की तिथि से 90 दिन पूर्व कम से कम एक बार क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया हुआ होना चाहिए।

उक्त समूह बीमा कवर की प्रयोज्य शर्तें और विनिर्देश कार्ड मेम्बर द्वारा प्रयोग किए जा रहे क्रेडिट कार्ड के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। बीमा कवर पर ब्यौरे हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.rbs.in देखें। बीमा प्रमाणपत्र वेल्कम किट के साथ भेज दिया जाएगा और उसमें दावा निपटान संबंधी ब्यौरा भी होगा।

(ख) अन्य वैकल्पिक बीमा कवर – पूर्वोक्त समूह बीमा कवर के अतिरिक्त बैंक कार्डमेम्बर्स की व्यक्तिगत देयताओं और/या अन्य संभाव्यताओं को कवर करने वाली अतिरिक्त बीमा पॉलिसीमां भी प्रदान कर सकता है। इसमें सैफ्टी नेट और क्रेडिट शील्ड पोलिसियां तो शामिल हैं ही लेकिन, ये उन तक सीमित नहीं हैं।

उक्त वैकल्पिक बीमा कवर हेतु बैंक कार्डमेम्बर के कार्ड एकाउंट पर प्रीमियम प्रभारित कर सकता है।

13.2 बीमा कंपनी द्वारा बैंक के अनुरोध पर या ऐसे किसी बीमा कवर या उक्त बीमा सुविधा का लाभ कार्डमेम्बर को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में कार्डमेम्बर एतद् द्वारा विशिष्ट यह स्वीकार करता है कि बैंक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा और यह कि इसके अंतर्गत सभी दावों के लिए बीमा कंपनी ही एकमात्र रूप में उत्तरदायी होगा।

13.3 कार्डमेम्बर ऐसे बीमा कवर के संबंध में किसी मामले या ऐसे बीमा कवर में कमी या त्रुटि के संबंध में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा. बीमा कवर के संबंध में वसूली या क्षतिपूर्ति, प्रोसेसिंग का भुगतान या दावों का समायोजन या बीमा कवर से संबंधित किसी अन्य मामले का समाधान बीमा पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा।

- 13.4 स्पष्टीकरण के प्रयोजन हेतु, यह बताया जाता है कि कार्डमेम्बर अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का प्रयोग ऐसी बीमा सुविधाओं जिसमें सैफ्टी नेट और क्रेडिट शील्ड बीमा (एतद् उपरान्त समेकित रूप से वैकल्पिक सुविधाओं के रूप में संदर्भित) शामिल तो है लेकिन ये स तक बीमित लेने ही हैं, के लिए कर सकता है, कार्डमेम्बर(र्स) द्वारा उक्त वैकल्पिक सुविधाओं का प्रयोग स्वेच्छा के आधार पर ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं के लिए विशिष्ट प्रयोज्य ऐसे नियमों और शर्तों तथा प्रभारों का अनुसूची में विशिष्टतः वर्णित या बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डमेम्बर द्वारा वैकल्पिक सुविधाओं का प्रयोग बैंक से विशिष्टतः मांग/विकल्प/आदेश/निकासी का आवेदन किया जा सकता है जबकि बैंक वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित/सभी कार्डमेम्बर्स के प्रति बिना किसी देयता के करेगा। यदि कोई कार्डमेम्बर इस वैकल्पिक सुविधा के प्रयोग का निर्णय लेता है तो इस संबंध में संगत नियमों एवं शर्तों की अनुप्रयोज्यता और स्वीकृति संबंधी नियम लागू होंगे उक्त वैकल्पिक सुविधाओं के लिए बैंक कार्डमेम्बर के कार्ड एकाउंट पर बीमा प्रीमियम प्रभारित कर सकता है। कृपया नोट करें की आरबीएस कार्ड रिवाइर्स प्रोग्राम या ऐसे अन्य लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे बीमा प्रीमियम के भुगतान के मद में कोई भी रिवॉर्ड/लॉयल्टी प्वाइंट्स संचित नहीं होंगे।
- 13.5 कार्डमेम्बर यह भी स्वीकार करता है कि इस प्रकार उपलब्ध कोई/सभी बीमा कवर संबंधित बीमा पॉलिसी की प्रचलित शर्तों के अनुसार उसे प्रदान की जाएगी और केवल तभी तक जब तक इसमें वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार कार्ड एकाउंट अनुरक्षित किया जाता है, कार्ड को किसी भी कारण से रद्द करने पर ऐसे बीमा कवर का लाभ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कार्ड एकाउंट या के निलंबित/रद्द किए जाने की तिथि से स्वयमेव बंद हो जाएगा।
- 13.6 यह पॉलिसी स्वतः ही केवल प्राइमरी कार्डमेम्बर (अतिरिक्त कार्ड मेम्बर हेतु नहीं) के लिए लागू होगी और बीमा पॉलिसी के अंतर्गत लाभ कार्ड की वैध अवधि तक उपलब्ध रहेंगे जब तक कि बैंक द्वारा लिखित में अन्यथा सूचित न किया जाए।

14. बैलेंस ट्रांसफर

- 14.1 आप बैंक द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट लिमिट अनुसार, एक या अनेक कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर हेतु एक या अधिक अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते उस समय सुविधा उपलब्ध हो।
- 14.2 बैलेंस ट्रांसफर संबंधी निवेदन 3000 रु. से कम की राशि (या समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य राशि सीमा) के लिए नहीं होनी चाहिए।

- 14.3 बैंक कार्डमेम्बर के डाक पते पर अन्य क्रेडिट कार्ड एकाउंट के नाम पर ड्राफ्ट कोरियर द्वारा भेजेगा। यह कार्ड मेम्बर का उत्तरदायित्व होगा कि वह इसे जारीकर्ता बैंक/क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेजे।
- 14.4 बैलेंस ट्रांसफर ड्राफ्ट को जारी किए जाने की तिथि से केवल छः माह (या समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य अवधि) की अवधि हेतु ही बैलेंस ट्रांसफर (बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट) पर फायनांस चार्ज की अधिमान्य दर प्रयोज्य होगी, जिसके बाद बकाया बैलेंस ट्रांसफर पर सामान्य दर से फायनांस चार्ज लगेगा।
- 14.5 छः माह की समाप्ति पर या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर यदि कोई बैलेंस होगा तो बैलेंस ट्रांसफर एकाउंट को मौजूदा कार्ड एकाउंट अंतरित कर दिया जाएगा और फायनांस चार्ज की प्रचलित दर लगेगी।
- 14.6 कार्डमेम्बर एग्रीमेंट या अन्य शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बैंक के पास यह पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार है कि वह छः माह (या समय-समय पर यथाविहित ऐसी कोई अवधि) की अवधि को पूरा होने से पूर्व कार्ड एकाउंट से कार्ड मेम्बर के बैलेंस ट्रांसफर की राशि पर फायनेंस चार्ज सामान्य दर में प्रभारित करने का अधिकार होगा, बैंक के पास बैलेंस ट्रांसफर ऑफ़र के अंतर्गत छूट प्राप्त दर को हटाने का अधिकार है और यदि बैंक यह पाए कि न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण या संतोषजनक भुगतान नहीं किया गया हो तो प्रचलित फायनांस चार्ज लेने का अधिकार है।
- 14.7 यदि कार्डमेम्बर अपने कार्ड एकाउंट को समाप्त करता है, तो बैलेंस ट्रांसफर राशि पर फायनांस चार्ज की सामान्य दर आरोपित होगी और वर्तमान निरस्तीकरण प्रक्रियाएं लागू होंगी।
- 14.8 यदि जारीकर्ता बैंक से कार्ड एकाउंट के लिए बैलेंस ट्रांसफर में कोई विवाद हो तो वह मूल कार्ड जारीकर्ता के साथ रहेगा और बैंक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.9 कार्डमेम्बर किसी बकाये के भुगतान हेतु जो बैलेंस ट्रांसफर के साथ कार्ड एकाउंट में अंतरित किया जा सकता हो के संबंध में जारीकर्ता बैंक द्वारा लगाए गए फायनांस चार्ज के लिए उत्तरदायी होगा।
- 14.10 बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार के आधार पर बैलेंस ट्रांसफर हेतु अनुरोध को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकता है।
- 14.11 बैंक अपने निर्णय अनुसार एक या बहुल बैलेंस ट्रांसफर प्रोग्राम लागू कर सकता है जिस हेतु फायनांस चार्ज और ऑफ़र अवधि समय-समय पर समान या भिन्न हो सकते हैं।
15. तीसरी पार्टी/सेवा की नियुक्ति

- 15.1 बैंक अपने एकमात्र निर्णय के आधार पर फ़ोन या किसी अन्य माध्यम द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए तीसरी पार्टी/सेवा प्रदाता की नियुक्ति कर सकता है। बैंक कुछ कार्यकलापों जैसे परन्तु केवल इन तक ही सीमित नहीं, संदर्भ जांच, डाटा प्रविष्टि और बैंक – ऑफिस संबंधी प्रचालन क्रेडिट ब्यूरो द्वारा सत्यापन, क्रेडिट जांच, कार्ड पर किसी बकाये की वसूली या बैंक को देय सभी बकायों की वसूली हेतु कानून द्वारा स्वीकृत किसी कार्यवाही को प्रारंभ करने के कार्य हेतु किसी तीसरी पार्टी/सेवा प्रदाता की नियुक्ति कर सकता है। तथापि बैंक तीसरी पार्टी के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संग्रहण हेतु तीसरी पार्टी/सेवा प्रदाता को किए गए सभी भुगतान आपकी लगातार और जोखिम पर बैंक द्वारा बकाया राशियों को लागत प्राप्त करने में प्रभार और व्यय के अतिरिक्त होंगे।
- 15.2 आप सभी बकायों, कानूनी व्यय और न्यायालय राशियों के ब्याज सहित संग्रहण से संबंधित सभी व्यय के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि मामले को किसी एजेंट या भुगतान के प्रवर्तन हेतु कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित किया गया हो।
16. क्रेडिट कार्ड पुनः जारी करना और बदलना
- 16.1 यदि आपका कार्ड खराब/क्षतिग्रस्त, विरूपित, गुम या चोरी हो जाता है, तो आप क्रेडिट कार्ड बदलने के लिए बैंक के किसी भी कार्ड डिवीजन केन्द्रों पर जा सकते हैं। ऐसे सभी बदले हुए क्रेडिट कार्ड्स बैंक के विवेकाधिकार से उन्हें बदलने के समय विद्यमान प्रभारों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्षतिग्रस्त हुए कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और चुम्बकीय पट्टी से दो आधे टुकड़ों में काटकर नष्ट कर देना चाहिए। यदि क्रेडिट कार्ड में कोई चिप हो तो उसे भी दो टुकड़ों में काटकर नष्ट कर देना चाहिए। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो 01 जुलाई, 2011 से प्रभावी है, के अनुसार क्रेडिट कार्ड्स पुनः जारी करने और बदले जाने के अनुरोधों के लिए पैन विवरणों का उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
17. पते और टेलिफ़ोन नम्बर बदलना
- 17.1 कार्डमेम्बर को अपने पते और/या टेलिफ़ोन नंबर में हुए किसी परिवर्तन की जानकारी लिखित या टेलिफ़ोन द्वारा समय-समय पर बैंक को या निर्दिष्ट कस्टमर सर्विस सेंटर को तुरंत दी जानी चाहिए।
18. बैंक की कोई देयता नहीं
- 18.1 पूर्ववर्ती पैराओं के संबंध में किसी पूर्वधारण के बिना, बैंक किसी भी स्थिति में आपके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी नुकसान या क्षति के संबंध में कोई देयता नहीं रखेगा (क) किसी सामान या आपूर्तित सेवाओं में कोई त्रुटि (ख) किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड को स्वीकारने से इंकार करना (ग) किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल में खराबी (घ) कार्डमेम्बर के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा लेनदेन अनुदेश देना (ड) किसी व्यक्ति

द्वारा कार्ड की वापसी हेतु निवेदन के बारे में विवरण देना या किसी अन्य व्यक्ति के संयोजन में कार्य करना (च) बैंक परिसर में बैंक के किसी गैर निर्दिष्ट कर्मचारी को कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड सौंपना (छ) बैंक का यह अधिकार कि प्रयोग अवधि की समाप्ति से पूर्व कार्ड को वापस प्राप्त करने और मांगने की कार्यवाही फिर चाहे वह मांग और वापसी और/या प्राप्ति बैंक या किसी अन्य व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल पर की गई हो (झ) आपके द्वारा क्रेडिट कार्ड की पुनः प्राप्ति द्वारा आपके क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा को हुई कोई हानि और/या कार्ड की वापसी हेतु कोई अनुरोध या कार्ड को स्वीकार करने में किसी सेवा स्थापना/मेल आदेश की अस्वीकृति (प) बैंक द्वारा प्रकट किसी व्यौरे में कोई गलत विवरण, गलत व्याख्या, त्रुटि या चूक। बैंक या बैंक की ओर किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपसे बकायों के समायोजन की मांग या दावे की स्थिति में आप इससे सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऐसी मांग या दावा किसी भी रूप में आपके चरित्र में बदनामी या पूर्वाग्रह का कृत्य नहीं होगा।

19. क्रास डिफॉल्ट

- 19.1 कार्ड मेम्बर स्वीकार करता है कि कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के अंतर्गत बाध्यताओं के निर्वहन में किसी गलती को कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के अंतर्गत गलती माना जाएगा और बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि उक्त एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करें।
- 19.2 कार्डमेम्बर बैंक के इस अधिकार को मानता है कि बैंक द्वारा आपको और इसके विपरीत प्रदान किए गए किसी ऋण/वित्तीय क्रेडिट सुविधा के संदर्भ में किसी गलत की स्थिति में क्रेडिट कार्ड सुविधा समाप्त की जा सकती है।

20. मास्टर कार्ड इंटरनेशनल द्वारा प्रदान सेवाएं

- 20.1 मास्टर कार्ड इंटरनेशनल द्वारा कार्डमेम्बर को कुछ आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मास्टर कार्ड द्वारा ऐसी सुविधाएं तीसरी पार्टी एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मास्टर कार्ड इंटरनेशनल द्वारा/से माध्यम से प्रदान की जा रही ऐसी आपातकालीन सेवाओं में लागत के लिए कार्डमेम्बर उत्तरदायी होगा।
- 20.2 मास्टर कार्ड इंटरनेशनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास आधार पर सेवा प्रदान की जाती है।
- 20.3 भारत में कहीं भी या विश्व में कहीं भी बैंक मास्टर कार्ड इंटरनेशनल द्वारा/के माध्यम से प्रदान सेवाओं की व्यवस्था या प्रयोग हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है।

21. प्रकटन

- 21.1 बैंक को एतद् द्वारा कार्डमेम्बर द्वारा अधिकृत किया जाता है कि कार्डमेम्बर के क्रेडिट हिस्ट्री या पुनर्भुगतान रिकॉर्ड संबंधी जानकारी क्रेडिट सूचना ब्यूरो/वसूली एजेन्ट/तीसरी पार्टी को कार्डमेम्बर की स्वीकृति के बिना जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 21.2 कार्डमेम्बर उपरोक्त सूचना के संबंध में निजता, गुप्त जानकारी, विशेषाधिकार, गोपनीयता और गुप्तता से विशिष्टतः छूट प्रदान करता है।
- 21.3 बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि मार्केटिंग के दौरान प्राप्त की गई कार्डमेम्बर की निजी सूचना का जिसे बाद में रिकॉर्ड में रखा जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग या विक्रय एजेन्टों द्वारा अनधिकृत ढंग से अंतरित या दुरुपयोग नहीं की जाए।
- 21.4 कार्ड धारक एतद् द्वारा बैंक को अनुमति करता है कि वह कार्ड धारक के बारे में कोई भी सूचना संभावित खरीदार/बैंक के प्रतिनिधि अथवा व्यापार सहयोगी को बता सकता है।

22. एसाइनमेंट/सिक्विरिटाइजेशन

- 22.1 कार्डमेम्बर यह मानता और स्वीकार करता है कि बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपके बकाए और शेष को बेचे, एसाइन या अंतरण किसी भी ढंग (आपसी युक्ति या अन्यथा के निर्माण सहित) से पूर्ण या भाग में बैंक द्वारा निर्धारित (बैंक द्वारा आपके विरुद्ध खरीदकर्ता, एसाइनी या अंतरण करने वाले की ओर से कार्यवाही करने के अधिकार सहित) ऐसी शर्तों के अनुसार बैंक की पसंद की किसी तीसरी पार्टी को बिना आपको संदर्भ दिए या बैंक द्वारा बिना लिखित सूचना के और ऐसी कोई बिक्री, एसाइनमेंट और अंतरण आप पर बाध्य होगा और आपको ऐसी तीसरी पार्टी को ऋणदाता या बैंक के साथ संयुक्त ऋणदाता के रूप में स्वीकार करना होगा, परन्तु बैंक के पास ऐसी तीसरी पार्टी को ओर से इसके अंतर्गत सभी शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार जारी रहेगा और बैंक ऐसी तीसरी पार्टी को अपने निर्णय अनुसार ऐसी बकाया राशि का भुगतान करेगा। बकाया और शेष राशियों की वसूली को लागू करने के लिए बैंक द्वारा व्यय की गई राशि कार्डमेम्बर के एकाउंट से निकाली जाएगी।

23. विविध

- 23.1 जिस स्थिति में बैंक विश्वास के कारण कार्डमेम्बर के संदर्भ में किसी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश या जांच के उत्तर में कार्ड संबंधी कोई जानकारी देता है तो कार्डमेम्बर बैंक द्वारा ऐसे विश्वास में किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी दावे या कथित किसी क्षति, नुकसान, क्षति, देयात व्यय इत्यादि के लिए अधिकृत नहीं होगा और कार्डमेम्बर इस संबंध में बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

- 23.2 इस कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के अंतर्गत कार्डमेम्बर को देयताओं से तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि कार्ड एकाउंट की पूर्ण बकाया राशि का भुगतान न कर दिया जाए।
- 23.3 कार्डमेम्बर के कारपोरेट निकाय के दिवालिया, इन्साल्वेंसी, विघटित होने या बंद होने या प्राथमिक कार्डमेम्बर की मृत्यु के कारण पूर्ण बकाया तुरन्त देय होगा जो कार्ड एकाउंट पर प्रभारित हो परन्तु जिसका भुगतान न किया गया हो। प्राथमिक कार्डमेम्बर की संपदा कार्ड एकाउंट पर बकाया किसी राशि के भुगतान हेतु प्रयुक्त होगी और ऐसे बकाये की वसूली में हुए कानूनी व्यय और खर्च की सभी लागतों हेतु गिरवी रहेगी। ऐसे पूर्वभुगतान के लंबित होने की स्थिति में बैंक वित्तीय प्रभारों और प्रचलित दरों के अनुसार प्रभारों की अनुसूची में दिए गए अन्य प्रयोज्य की उगाही जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 23.4 कार्ड एकाउंट को किसी सरकारी/विनियामक निकाय से अनुदेशों के आधार पर भी रद्द किया जा सकता है सरकारी/विनियामक से अनुदेश प्राप्त होने पर कार्ड पर बकाया सभी राशियां तुरन्त देय मानी जाएगी, जैसी भी स्थिति हो और बैंक बिना किसी पूर्वाग्रह से आपको सभी बकायों का प्रचलित संगत कानूनों के अनुरूप वसूली के लिए बैंक अधिकृत होगा।
- 23.5 बैंक को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर इन नियमों और शर्तों को संशोधित कर सकेगा जिन्हें वह लिखित में कार्डमेम्बर को सूचित करेगा। कार्डमेम्बर ऐसे किसी भी संशोधन के प्रति बाध्य होगा जब तक कि कार्ड एकाउंट की सभी बकाया राशि का भुगतान न हो जाए और कार्ड को संशोधन के लागू होने की तिथि से पूर्व निरस्त करने हेतु वापस न कर दिया गया हो या आधे-आधे हिस्सों में काट न दिया गया हो।
- 23.6 बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर इन नियम और शर्तों के तहत कार्ड मेम्बर को उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं या विशेषताओं को बढ़ा या वापस ले सकता है।
- 23.7 मुद्रण के समय सारी प्रकाशित सूचना सही और पूर्ण है। बैंक मुद्रण के बाद हुए परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

24. पेमेन्ट हॉलीडे प्रोग्राम

- 24.1 बैंक अपने निर्णय के आधार कुछ चुनिंदा कार्डमेम्बर्स को पेमेन्ट हॉलीडे प्रोग्राम (एतद् उपरांत प्रोग्राम) प्रदान कर सकता है. जोकि केवल निदिष्ट अवधि हेतु ही प्रयोज्य होगा। प्रोग्राम केवल प्राइमरी कार्ड मेम्बर्स के लिए ही होगा जोकि द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (एतद् उपरांत बैंक) के एकमात्र निर्णय के आधार पर चयनित किए जाएंगे, जो भारतीय नागरिक हों जिनके पास वैध और वर्तमान द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड (एतद् उपरांत कार्ड मेम्बर) हो और जहां कार्डमेम्बर के संबंध में की बकाया शेष न हो।

- 24.2 प्रोग्राम के अंतर्गत, कार्डमेम्बर को बैंक द्वारा बताई गई अवधि के दौरान अपने द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड (कुल राशि, न्यूनतम देय राशि . इसके कुछ भाग में राशि) पर बकाये के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक को यह अधिकार है कि वह इस संबंध में बिना कोई कारण बताए कार्डमेम्बर के लिए प्रोग्राम से इंकार कर सकता है।
- 24.3 किसी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें वर्णित नियम और शर्तें बैंक पर तभी बाध्य होंगी जब बैंक ने भुगतान देय तिथि कॉलम में पेमेन्ट होलीडे उल्लेख द्वारा ऑफ़र अवधि के दौरान कार्डमेम्बर के एकाउंट के स्टेटमेंट में इसकी पुष्टि की हो।
- 24.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑफ़र अवधि के दौरान बैंक चार्जेज की अनुसूची के अनुसार ब्याज की उगाही करेगा, जिसका कार्डमेम्बर एकाउंट के अगले बिल चक्र में भुगतान करना होगा। कार्डमेम्बर पर ऑफ़र अवधि को दौरान कोई विलंब शुल्क प्रभारित नहीं होगा।
- 24.5 प्रोग्राम के बंद होने पर कार्डमेम्बर अपने एकाउंट को सही स्थिति में रखने के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। कार्डमेम्बर को यह विकल्प होगा कि वह प्रोग्राम की अवधि को दौरान पूर्ण या आंशिक भुगतान करे।
- 24.6 बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इसके अंतर्गत शर्तों को जोड़े, घटाए, बदले, परिवर्तित, संशोधित करे और ऐसे संशोधन/परिवर्तन कार्ड मेम्बर पर बाध्य होंगे. प्रोग्राम पर सेवाकर और/या अन्य कर/प्रभार जोकि समय-समय पर प्रयोज्य होंगे कानून के अंतर्गत ही लगेंगे।
- 24.7 प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी विवाद दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य निर्णयाधीन होगा।
- 24.8 इसमें उल्लिखित नियम और शर्तें प्रभावी होंगे। कार्डमेम्बर एग्रीमेंट की अन्य सभी नियम व शर्तें कार्डमेम्बर एग्रीमेंट में कुछ भी असंगत होने की स्थिति में कार्ड मेम्बर पर बाध्यकारी होंगे।

25. ईजी पे

ईजी पे EP सुविधा भारत में उन सभी नागरिकों के लिए है जिनके पास वैध और वर्तमान द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट (क्रेडिट कार्ड) अच्छी स्थिति में हो। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (बैंक) के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए कार्डमेम्बर को EP सुविधा देने से इंकार कर दें। कार्ड मेम्बर शहर में स्थित निर्दिष्ट 24 आवर्स बैंक को फोन द्वारा EP सुविधा चालू करने का अनुरोध कर सकता है। बैंक के पास ऐसे निवेदनों की स्वीकृति करने का एकमात्र अधिकार है। फोन पर EP सुविधा हेतु किए गए निवेदन को इस प्रोग्राम के नियम और शर्तों और लेन-देन की बिना शर्त स्वीकृति माना जाएगा और

कार्डमेम्बर इस संबंध में विवाद नहीं करेगा। EP सुविधा में कार्डमेम्बर द्वारा किए गए प्रत्येक EP ऋण अनुरोध हेतु EP मूल राशि पर 1.99% का प्रोसेसिंग शुल्क या 249 रु, जो भी अधिक हो के अनुसार दैनिक शेष बकाये पर 2.50% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा। EP सुविधा 6, 9, 12, 18 और 24 माह की विभिन्न अवधियों हेतु कार्डमेम्बर द्वारा किए गए निवेदन और बैंक की स्वीकृति अनुसार हो सकती हैं, EP सुविधा का प्रयोग केवल 3000 रु या इससे अधिक की एकमात्र खुदरा खरीद हेतु भी किया जा सकता है। कार्डमेम्बर 3000 रु या अधिक की खरीद करने के बाद, खरीद के 10 दिन बाद तक बैंक को निर्दिष्ट फोन पर इसकी सूचना दे सकता है और उक्त खुदरा लेनदेन राशि को EP सुविधा में परिवर्तित करने का अनुरोध कर सकता है 3000 रु और 5000 रु के बीच टिकट आकार के साथ सभी लेनदेन केवल 6 माह की अवधि के लिए होंगे। बैंक कार्डमेम्बर द्वारा अनुरोध किए जाने पर उक्त राशि को EP सुविधा में ट्रांसफर कर सकता है। कृपया नोट करें कि परेचज अंतरण(णों) पर अर्जित कार्ड भी रिवाई प्लाइट्स/कैश बैंक तब रिवर्स कर दिए जाएंगे जह ऐसे अंतरण (णों) को EP सुविधा में कन्वर्ट किया जाएगा। बैंक, अनुवर्ती मासिक स्टेटमेंट में, कार्डमेम्बर को पूर्वोक्त राशि के EP सुविधा में ट्रांसफर होने के बारे में सूचित करेगा। EP सुविधा के लिए अनुरोध किए जाने और बैंक द्वारा इसे स्वीकृत करने के बाद यह मान लिया जाएगा कि कार्डमेम्बर ने सुविधा के नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया है। बैंक कार्ड मैम्बर के लिए EP सुविधा की स्वीकृति के संबंध में एक SMS/ई-मेल, पत्र या बैंक द्वारा चुने गए किसी अन्य माध्यम द्वारा इसकी सूचना देगा। कार्डमेम्बर लेनदेनों को इसमें नहीं मिला सकता और समेकित खरीद राशि को EP सुविधा में शामिल नहीं कर सकता। 3000 रु से अधिक मान के केवल एक लेनदेन को क्रेडिट कार्ड एकाउंट पर EP ऋणों के रूप में स्थापित किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड एकाउंट पर EP ऋणों के ऐसे छः ऋण स्वीकृत हैं। EP सुविधा प्राइमरी या ऐड-आन कार्डमेम्बर में से किसी भी द्वारा किए गए खुदरा खरीद पर उपलब्ध है। बैंक EP सुविधा में खुदरा खरीद को केवल प्राइमरी कार्डमेम्बर द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध के आधार पर ही शामिल करेगा। बैंक द्वारा ऐड-ऑन कार्डमेम्बर द्वारा खुदरा खरीद को EP सुविधा में सम्मिलित करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक प्रभार अनुसूची और कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के नियम और शर्तों के अनुसार वर्तमान प्रयोज्य प्रभारों की उगाही जारी रखेगा। EP स्वीकृति के बाद कार्डमेम्बर की क्रेडिट सीमा को EP मूल राशि तक कम किया जाएगा। जैसे ही कार्डमेम्बर EP किशत का भुगतान करता है, वैसे ही कार्ड लिमिट का समायोजन किया जाता है। कार्डमेम्बर EP सुविधा के अंतर्गत बहु खुदरा खरीद कर सकता है बशर्त द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड एकाउंट पर यह लिमिट उपलब्ध हो, EP मासिक किशत के अंतर्गत के भुगतान की जाने वाली राशि को (EP मूल राशि + ब्याज)/कालावधि के आधार पर परिकालित की जाती है। EP मासिक किशत अनुसूची कार्ड मैम्बर्स के निवेदन के बाद तैयार अगले विवरण से प्रारंभ होगी और कार्डमेम्बर द्वारा अनुरोध की गई EP अवधि हेतु जारी रहेगा। EP मासिक किशत को EP सुविधा की अवधि हेतु एकाउंट के न्यूनतम देय राशि (MAD) में सम्मिलित किया जाएगा।

MAD वर्तमान चक्रण बकायों (खुदरा/रोकड़/अंतरण) और देय EP मासिक किश्त (बहु EP के मामले में बकाया सभी EP मासिक किश्तों) पर 7% होगा। कार्डमेम्बर द्वारा MAD के कम भुगतान या अपूर्ण भुगतान पर कार्डमेम्बर को विलंब शुल्क और प्रभार, प्रभार अनुसूची के अनुसार देना होगा। यदि क्रेडिट कार्ड दोषपूर्ण हो जाता है या कार्डमेम्बर द्वारा सभी EP किश्तों के भुगतान से पूर्व ब्लॉक कर दिया जाता है तो EP सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। EP सुविधा को समाप्त किए जाने पर बकाया EP मूल राशि और अन्य प्रभार कार्डमेम्बर के खुदरा बकाये में वापस अंतरित कर दिए जायेंगे और शेष मूल राशि पर 100 रु या 3% की दर से, निरस्तीकरण शुल्क की उगाही की जाएगी कार्डमेम्बर अपने क्रेडिट कार्ड एकाउंट में इस खुदरा शेष को क्लीयर करने के लिए इसका भुगतान कर सकता है। कार्डमेम्बर को अपने कार्ड को सही स्थिति में रखने के लिए MAD का पूर्ण भुगतान करना चाहिए। कार्डमेम्बर को EP सुविधा को बंद करने के लिए लिखत में अनुरोध करना चाहिए। निवेदन की प्राप्ति पर बकाया EP मूल राशि और अन्य प्रभार कार्डमेम्बर के खुदरा बकाये में वापस अंतरित किए जायेंगे और शेष मूल ऋण राशि पर 100 रु या 3%, जो भी अधिक हो की दर से निरस्तीकरण शुल्क की उगाही की जाएगी, इनमें से जो भी अधिक हो, EP सुविधा के समाप्त किए जाने की स्थिति में, यदि कार्डमेम्बर के एकाउंट में बकाया चक्रण बकाया है तो उपरोक्त उल्लिखित राशि (EP शेष मूल राशि + निरस्तीकरण शुल्क) को चक्रण बकाये में सम्मिलित किया जाएगा और इस पर स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड ब्याज प्रभार लगेंगे, जैसा कि प्रभार अनुसूची में उल्लिखित है। बैंक कार्डमेम्बर द्वारा एक EP खाते को दूसरे में परिवर्तित करने के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड के पास यह पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि वह इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों में जोड़े, घटाए, संशोधन और परिवर्तन करे तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होंगे/बैंक द्वारा प्रदान की जा रही EP सुविधा वैकल्पिक है और कार्डमेम्बर इस सुविधा में भाद लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। कार्डमेम्बर द्वारा ऐसी EP सुविधा में भाग लेना स्वैच्छिक है। इस सुविधा पर सरकारी कर और/या अन्य कर/प्रभार इत्यादि लगेंगे जो समय-समय पर कानून के अधीन प्रयोज्य होंगे। EP सुविधा के मामले में किसी भी विवाद पर नई दिल्ली स्थित न्यायालयों को विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।

26. प्रीमियर क्वल प्रोग्राम

- 26.1 “द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड” (एतद् उपरांत “बैंक”) अपने वर्तमान ग्राहकों को जिन्हें द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड (एतद् उपरांत “कार्ड मेम्बर”) प्रदान किया गया है, को कार्डमेम्बर एग्रीमेंट के साथ पढ़ी जाने वाली नीचे वर्णित शर्तों और नियमों को और बैंक के विवेक के अनुसार तैयार नियम एवं शर्तों के पूरा किए जाने पर एक “प्रीमियम क्वल प्रोग्राम” सुविधा (एतद् उपरांत समेकित रूप में “प्रोग्राम” के नाम से संदर्भित) का ऑफ़र करता है।

26.2 प्रोग्राम कार्डमेम्बर को निम्नांकित सेवाओं का (समेकित रूप में “सुविधाएं” और व्यक्तिगत रूप में “सुविधा”) प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नानुसार ऑफर करता है:

- क. लाइफ रिवाइड: कार्ड मैम्बर के प्वाइंट किसी भी अवधि के बीत जाने पर समाप्त नहीं होते।
- ख. प्रीमियम क्लब ऑफर: यात्रा, खरीद, डायनिंग, उपयोगिता बिल, ईंधन इत्यादि पर विशेष मूल्य ऑफर।
- ग. एक्टिव एलर्ट सर्विस: एक्टिव एलर्ट सर्विस में कार्ड एकाउंट पर की गई विशिष्ट लेन देनों हेतु SMS और ई-मेल एलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं। इत हेतु पात्र होने के लिए कार्ड मेम्बर को बैंक को अपना वैध ई-मेल ID और मोबाइल फ़ोन नंबर देना आवश्यक है।
- घ. बिल भुगतान सेवा: कार्डमेम्बर अपने द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रति माह असीमित बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा स्मार्ट बिल प्रोग्राम के नियम और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है। जिसे <http://www.rbs.in/credit card /smartbill/t&c.html> पर भी देखा जा सकता है।

26.3 YESS – कार्डमेम्बर (रों) के क्रेडिट कार्ड एकाउंट (टों) के वार्षिक विवरण को वर्ष की समाप्ति पर 12 महीनों में एक बार उपलब्ध कराया जाता है।

कृपया ध्यान दें, प्रभावी 1 मई 2013 , YESS – कार्डमेम्बर के क्रेडिट कार्ड एकाउंट के वार्षिक विवरण बंद हो जाएगा | लेकिन, आप हमारी वेबसाइट www.rbs.in पर CardsOnline पर प्रवेश करके यह देखने और अपने खर्च की आदतों और पैटर्न का विश्लेषण करने में सक्षम होने के लिए जारी रहेगा

26.4 यह प्रोग्राम कार्डमेम्बर को निम्नांकित शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- क. कार्डमेम्बर को प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में प्रति तिमाही 75 रु का भुगतान करना होगा, जोकि उत्पाद की लागत और प्रशासनिक प्रभारों सहित होगा।
- ख. कार्डमेम्बर द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में कार्डमेम्बर को सूचना उसे भेजे जाने वाले मासिक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट द्वारा भेजी जाती है।
- ग. प्रोग्राम में कार्डमेम्बर की भागीदारी स्वैच्छिक है और यदि कार्ड मेम्बर प्रोग्राम में भाग न लेने का निर्णय लेता है तो उसे इस संबंध में समय-समय पर बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित

तरीके से इस संबंध में बैंक को सूचित करना होगा। यदि कार्डमेम्बर प्रोग्राम का मेम्बर नहीं बनने का निर्णय लेता है तो बैंक कार्डमेम्बर से प्राप्त ऐसे प्रभारों को वापस रिवर्स कर देगा।

घ. यदि कार्डमेम्बर प्रोग्राम से बाहर निकलने का निर्णय लेता है तो वह इस संबंध में बैंक को सूचित करेगा।

प्रोग्राम से बाहर निकलने पर, कार्डमेम्बर के प्रोग्राम से संबंधित सभी प्रभार रिवर्स कर दिए जाएंगे।

ड. कार्डमेम्बर की प्रोग्राम में भागीदारी की पुष्टि होने पर और/या कार्ड मेम्बर ने वापसी सूचित न की हो और/या प्रोग्राम प्राप्त न करने के लिए अनुरोध किया हो तो बैंक अधिकृत है कि वह प्रोग्राम हेतु तिमाही किश्तों को किन्हीं भी कारणों या इसकी परिपक्वता, जो भी पहले हो, के समाप्ति/बंद होने तक चार्ज करें। इस संबंध में बैंक प्रोग्राम या उससे जुड़ी. तिमाही किश्तों के बराबर राशि को कार्डमेम्बर के क्रेडिट कार्ड एकाउंट से लेगा, इसमें वह अवधि भी सम्मिलित है जिसमें कार्डमेम्बर द्वारा प्रोग्राम से बाहर निकलने का विकल्प होता है।

च. कार्डमेम्बर द्वारा प्रोग्राम बैंक को बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना की सूची कार्ड-मेम्बर का एक वैध एवं एक्टिव सेल/मोबाइल फ़ोन नंबर, आदि शामिल तो हैं, लेकिन ये इन सीमित नहीं हैं, उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

छ: बिल पेमेन्ट सर्विस सुविधा हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक की वेबसाइट

<http://rbs.in./creditcard/smartbillpay/T&C.html> पर दिए प्राधिकृत, मान्यताप्राप्त और निर्दिष्ट तीसरी पार्टी/सेवा प्रदाताओं के लिए ऐसी शर्तें और नियम अरिक्त रूप से लागू होंगे।

26.5 बैंक उन कार्डमेम्बर्स को जो प्रोग्राम के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करते हैं, एक स्वीपस्टेक्स ऑफर और/कांटेस्ट (एतद् द्वारा कांटेस्ट) प्रदान कर सकता है, जहां प्रोग्राम में पंजीकृत कार्डमेम्बर प्रत्येक सप्ताह/माह/तिमाही/वर्ष में बैंक के निर्णय अनुसार कांटेस्ट में प्रविष्टि हेतु स्वतः ही अर्हक हो जायेंगे. कांटेस्ट विजेताओं को बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार से चुना जाएगा और बैंक द्वारा पुरस्कार (प्रत्येक कांटेस्ट के लिए प्रयोज्य) इस ढंग से वितरित किए जाएंगे जैसा कि बैंक द्वारा गठित किए गए स्वतंत्र पैनल द्वारा प्रयोज्य – निर्धारित किया गया हो और यह निर्णय प्रत्येक पर बाध्य होगा और कार्डमेम्बर द्वारा किसी भी ढंग से इस संबंध में प्रश्न नहीं किया जाएगा। कांटेस्ट के बंद होने पर बैंक के विवेकाधिकार पर कांटेस्ट के सभी विजेताओं को सूचित किया जाएगा और बैंक कांटेस्ट के परिणाम के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा. इसके अतिरिक्त, बैंक गिफ्ट्स के रूप में प्रदत्त सामान/सेवाओं की गुणवत्ता के लिए न तो उत्तरदायी होगा और नही इनमें किसी त्रुटि के लिए बैंक इन उत्पादों/सेवाओं/गिफ्ट्स के गैर-प्रयोग या प्रयोग से संबंधी किसी दावे पर विचार करेगा। कार्डमेम्बर्स को पुरस्कारों के चित्र/प्रदर्शन केवल प्रदर्शनात्मक प्रकृति के हैं और पुरस्कार संबंधित आपूर्तिकर्ता से उपलब्धता अनुसार हैं और संबंधित

आपूर्तिकर्ता द्वारा इन्हें प्रदान न किए जाने की स्थिति में बैंक अपने एकमात्र संपूर्ण विवेकाधिकार पर प्रतिस्थापित करेगा। पुरस्कार अहस्तंतरणीय हैं और इसे नहीं भुनाया जा सकता है।

26.6 कार्डमेम्बर एग्रीमेंट में वर्णित नियमों और शर्तों को प्रोग्राम में वर्णित कवर के स्कोप/नियम और शर्तों के साथ पढ़ा जाए। यद्यपि प्रोग्राम में वर्णित नियम और शर्त कार्डमेम्बर एग्रीमेंट में वर्णित नियम और शर्तों पर अधिक्रमण प्रभाव रखेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक संबंधित कार्डमेम्बर को मीडिया जैसे ई-मेल और/या SMS द्वारा कार्डमेम्बर को सतर्क करेगा। बैंक किसी भी स्थिति में विशेषकर निर्दिष्ट तीसरी पार्टी और/या सेवा प्रदाता जिसमें SMS का न मिलना, ई-मेल एकाउंड का भरा होना, नेटवर्क खराबी, और प्राप्त गिफ्ट्स के दावों के संबंध में बाध्य नहीं होगा। बैंक कार्डमेम्बर द्वारा किसी भी स्थिति में उपरोक्त घटनाओं के होने पर प्रोग्राम के तरह किसी भी दावे की वापसी और/या राशि वापसी के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।

26.7 इसके नियम और शर्त सामान्य प्रचलित श्रेष्ठ नियमों के अनुसार होंगे।

26.8 प्रोग्राम का प्रयोग प्रयोज्य कानून सहित किसी संशोधन, परिवर्तन या इसको पुनः लागू करने के अनुरूप होगा।

26.9 बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए कार्डमेम्बर के प्रति किसी भी कारण और/या दायित्व के प्रोग्राम के अंतर्गत सुविधाओं को समाप्त, अवरुद्ध और/या बंद कर सकता है। इसके अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान हेतु कार्डमेम्बर बैंक और/या इसके अनुषंगियों, निर्दिष्ट तीसरी पार्टियों से विभिन्न मीडिया जिसमें ई-मेल, SMS और मासिक स्टेटमेंट शामिल तो हैं लेकिन ये उन तक सीमित नहीं हैं, के ज़रिए संपर्क कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा इस सुविधाओं को प्रदान किए जाने की स्वीकृति एक समग्र निर्णायक नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट तीसरी पार्टियां और/या सेवा प्रदाता कार्डमेम्बर के अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक कार्डमेम्बर को बिना कोई कारण और/या अन्य दायित्व के उपरोक्त के बारे में सूचित करेगा।

26.10 यहां उल्लिखित कुछ भी बैंक द्वारा किसी समान या अन्य स्कीम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त यहां किए गए कोई भी उल्लेख बैंक को कार्डमेम्बर की संतुष्टि हेतु सेवा/उत्पादों की गुणवत्ता के लिए किसी भी ढंग में उत्तरदायी नहीं ठहराएगा विशेषकर उस स्थिति में जहां उपरोक्त सेवा/उत्पादों को बैंक द्वारा सीधा प्रदान न किया जा रहा हो।

- 26.11 कार्डमेम्बर इस प्रोग्राम के बदलने, गैर-स्वीकृति या समाप्ति और गिफ्ट्स को प्रदान न करने सहित जो केवल इन तक ही सीमित नहीं हैं, के कारण कार्डमेम्बर की होने वाली किसी कार्रवाई, दावे, मांग, क्षति, लागत और व्यय के लिए बैंक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 26.12 प्रोग्राम के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या इस प्रोग्राम से संबंधित अनुषंगी सेवाओं या कांटेस्ट से प्राप्त गिफ्ट्स के लिए कार्डमेम्बर के कारण किसी सरकारी या अन्य किसी प्राधिकरण या निकाय को देय किसी कर या देयताओं या प्रभारों का वहन सीधे कार्डमेम्बर या कार्डमेम्बर के खाते से लिए जाएगा।
- 26.13 इस स्कीम या अन्यथा या इससे संबंधित परिणाम से उत्पन्न या संबंधित किसी विवाद की स्थिति में केवल नई दिल्ली में स्थित सक्षम न्यायालयों/प्राकरणों का अनन्य न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा, चाहे अन्य क्षेत्रों में समान या ऐसे ही न्यायिक क्षेत्राधिकार भी हों।

27 वाउचर ऑफर

- 27.1 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड अपने कार्डमेम्बर्स को कार्ड लेते समय या कार्ड प्राप्त करने के बाद अनेक मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों के ऑफरों की जानकारी दे सकते हैं। इनके बारे में ग्राहक को वाउचरों द्वारा सूचित किया जा सकता है जो को-ब्रांडेड हो सकता है या जिसका केवल मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जा सकता है।
- 27.2 यह ऑफर भागीदार मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों द्वारा स्वयं एकमात्र आधार पर कार्डमेम्बर को दिए जाते हैं। इसके लिए भागीदार मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों के नियम लागू होंगे। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड यह ऑफर नहीं कर रहा है इसलिए इस ऑफर/वाउचर के अंतर्गत कार्डमेम्बर द्वारा लिए गए उत्पादों/सेवाओं की सुपूर्दगी, गुणवत्ता, मर्चेन्टबिलिटी या उपयोगिता की कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- 27.3 इसके अतिरिक्त कार्डमेम्बर यह समझता है कि कार्डमेम्बर द्वारा मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों के साथ बांटी गई कोई भी सूचना उसका अपना एकमात्र निर्देश होगा और वह मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों द्वारा इसका उपयोग/दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में बैंक को दोषी/उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। इस ऑफर के अंतर्गत लिए गए उत्पादों/सेवाओं की सुपूर्दगी, गुणवत्ता, मर्चेन्टबिलिटी या उपयोगिता संबंधि किसी विवाद की स्थिति में कार्डमेम्बर वाउचर सीधे मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों को लिखित सूचना देगा और बैंक इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- 27.4 कार्डमेम्बर द्वारा इस ऑफर/वाउचरों के अंतर्गत प्राप्त किए गए उत्पादों/सेवाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोग/दुरुपयोग के कारण हुई किसी निजी क्षति हेतु द रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड किसी भी क्षति या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

27.5 द रॉयल बैंक ऑफ़ स्काटलैंड के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना पूर्व सूचना के इन ऑफ़रों को बढ़ा दे या समाप्त कर दे। द रॉयल बैंक ऑफ़ स्काटलैंड के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय इस ऑफ़र को अन्य ऑफ़र, चाहे सदृश ऑफ़र हो, के साथ बदल दे या पूर्ण ऑफ़र को या इसके किसी भाग को या इसकी किन्हीं शर्तों और नियमों को बिना पूर्व सूचना न जोड़/बदल/संशोधित/परिवर्तित कर दे।

28. सैट ऑफ़/बैंकर्स लिएन का अधिकार

28.1 यदि आप किसी स्थिति में किसी भी कारण से एग्रीमेंट में उल्लेखित क्रेडिट कार्ड बकाये का समायोजन करने में असमर्थ या विलंब करते हैं तो वैसी स्थिति में आप स्पष्टतः और बिना शर्त बैंक को प्राधिकृत करते हैं कि वह समय-समय पर बैंक के अधिकार में किसी संपत्ति या परिसंपत्ति के प्रति समायोजन कर ले परन्तु यह केवल ऐसे बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा खाता तक ही सीमित नहीं है, जो आपका हमारे यहाँ व्यक्तिगत या संयुक्त खाते रूप में मौजूद हो से हमारे द्वारा आपको किसी रूप में देय किसी भी राशि से भी समायोजन किया जा सकता है।

29 माफी/सहमति

29.1 इस एग्रीमेंट के अंतर्गत या किसी अन्य एग्रीमेंट या दस्तावेज के अंतर्गत किसी त्रुटि होने की स्थिति में बैंक की किसी कार्य या किसी अधिकार, शक्ति या समाधान का प्रयोग ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या समाधान या इसका कोई भाग किसी माफी/बचाव या किसी चूक में किसी सहमति को बाधित नहीं करेगी और न ही किसी चूक या किसी चूक के मामले में सहमति के संदर्भ में बैंक की कार्यवाही या कार्यवाही न करने को बाधित करेगी, और न ही इसी प्रकार की समान या अनुवर्ती चूक के संदर्भ में बैंक के, किसी अधिकार, शक्ति या समाधान को बाधित करेगी।

30 माध्यस्थम्

30.1 इस एग्रीमेंट से संबंधित या इससे उत्पन्न किसी विवाद, शंका या दावे या इसके उल्लंघन, समाप्ति या वैधता से संबंधित विवाद का समाधान करने के लिए इस समय-समय पर यथासंशोधित माध्यस्थम् एक सुलक एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संकभित किया जाएगा. माध्यस्थम् की सीट नई दिल्ली, भारत में होगी. माध्यस्थम् कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

31 न्यायिक अधिकार और शासक विधि

31.1 इस कार्डमेम्बर एग्रीमेंट से संबंधित और/या उत्पन्न सभी विवादों पर नई दिल्ली, भारत स्थित सक्षम न्यायालयों का अनन्य न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा।

31.2 यह एग्रीमेंट भारत की विधि द्वारा शासित होगा।

32 उल्लेख

32.1 किसी लिंग के लिए संदर्भ किए गए संदर्भ में सभी और एक संख्या के लिए संदर्भ बहु संख्या और संदर्भ अनुसार इसके विपरीत के लिए संदर्भ को समाहित करेगा।

33. स्वीकृति

33.1 अपने संपूर्ण कार्डमेम्बर एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, और सहमति जताते हैं कि आप इसमें वर्णित सभी शर्तों द्वारा बंधे रहेंगे।

33.2 आप स्वीकार करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के संबंध में आप नियम और शर्तों और अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करते हैं जोकि आपके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्पष्ट किए गए हैं और आपको विभिन्न खण्डों का पूर्ण अर्थ समझ आ गया है।

कस्टमरों के लिए बैंड दायित्व कोड हमारी वेबसाइट www.rbs.in पर उपलब्ध है. आप बैंक की किसी भी शाखा से कोड की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

“यह प्रोडक्ट/सर्विस आपके लिए रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड एन.वी. लेकर आए हैं।”